

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016-चैत्र 12, शके 1938

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### न्यायालयों की सूचनाएं

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH,  
BENCH AT INDORE  
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION  
COMPANY PETITION NO 07 OF 2016 CONNECTED WITH  
COMPANY SUMMONS FOR DIRECTION NO. 26 OF 2015**

In the matter of Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956  
AND

In the matter of Scheme of Amalgamation of Drap Plastics Private Limited with Drap Leasing And Finance Private Limited and their respective shareholders.

AND

In the matter of  
Drap Plastics Private Limited,  
Through Director, 202-B, Kanchan Sagar, 18/1,  
Old Palasia A. B. Road, Indore-452001.

.....Petitioner/Transferor

WITH

Drap Leasing And Finance Private Limited,  
Through Director, 202-B, Kanchan Sagar, 18/1,  
Old Palasia A. B. Road, Indore- 452001.

.....Petitioner/Transferee

#### NOTICE OF PETITION

A petition under section 391-394 of the Companies Act, 1956 for obtaining sanction of the Hon'ble High Court of the scheme of amalgamation of Drap Plastics Pvt. Ltd. (Transferor Company) with Drap Leasing and Finance Pvt. Ltd. (Transferee Company) was presented by the petitioners named above on 19.02.2016 and was listed before this Hon'ble Court on 02.03.2016 and fixed for hearing before the Company Judge on 22.04.2016. Any one desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's advocates notice of his intention signed by him or his advocate not later than 2 days before the date fixed for the hearing of the petition, the grounds of opposition or a copy of affidavit shall be furnished with such notice.

A copy of the petition will be furnished by the petitioner's advocates to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Place: Indore.  
Dated : 16-03-2016.  
(698-B.)

**SOUMYA SHARMA,**  
Advocate for Petitioners,  
79-B, Geeta Nagar, INDORE.

### अन्य सूचनाएं नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम कुमारी भागवती पिता श्री सौभागमलजी जैन था. मेरा विवाह वर्ष 22 मई, 2002 में श्री राकेश वागरेचा पिता श्री गुणवंतलालजी वागरेचा, निवासी-321, सेक्टर-बी, योजना क्रमांक 71, इन्दौर से होने से विवाह पश्चात मेरा नाम परिवर्तित हो गया होकर वर्तमान में मुझे श्रीमती मीनाक्षी वागरेचा पति श्री राकेश वागरेचा के नाम से जाना जाता है. अतः अब मुझे श्रीमती मीनाक्षी वागरेचा पति श्री राकेश वागरेचा के ही नाम से जाना पहचाना जावे एवं कुमारी भागवती जैन नाम शैक्षणिक दस्तावेजों, जगह जमीन, जायजाद एवं समस्त प्रकार के सरकारी एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में जहां कहीं भी उल्लेखित है, उसके स्थान पर श्रीमती मीनाक्षी वागरेचा पति श्री राकेश वागरेचा नाम मान्य किया जावे.

पुराना नाम :

( कुमारी भागवती )

पिता श्री सौभागमलजी जैन,

( 699-बी. )

नया नाम :

( मीनाक्षी वागरेचा )

पति श्री राकेश वागरेचा,  
पता-321, सेक्टर-बी, योजना क्रमांक 71,  
इन्दौर (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मदनलाल भियानदिया के नाम से जाना व पहचाना जाता था. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर मदनलाल सूर्यवंशी कर लिया है. अतः भविष्य में मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में मेरा परिवर्तित नाम मदनलाल सूर्यवंशी दर्ज किया जाकर पढ़ा जाए व मदनलाल सूर्यवंशी नाम से ही जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

( मदनलाल भियानदिया )

( 700-बी. )

नया नाम :

( मदनलाल सूर्यवंशी )

ईडब्ल्यूएस 109, जवाहर नगर कॉलोनी,  
महुगाँव, महु, जिला इन्दौर.

### PUBLIC NOTICE

I, Saraswati Neupane hereby inform publically that I am also known and recognized as Mrs. Khumakala Neupane, which declares that being an individual I possess two names and of nobody else.

( SARASWATI NEUPANE )

( 701-B. )

( KHUMAKALA NEUPANE )

E 1/71, Arera Colony  
Bhopal (M.P.) 462016.

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम रजनीश प्रसाद चर्मकार पिता स्व. जमना प्रसाद था. अब मेरा नाम रजनीश प्रसाद वर्मा हो गया है. अतः आज से मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये, शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय में भी इसी नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( रजनीश प्रसाद चर्मकार )

( 702-बी. )

नया नाम :

( रजनीश प्रसाद वर्मा )

पता-697, भीमनगर वल्लभ भवन, भोपाल,  
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे 12वीं तक के अभिलेखों में मेरा नाम सतेन्द्र दुबे पिता श्री रामलखन दुबे था. जो कि अब परिवर्तित होकर वीर वैद्य दुबे पिता श्री रामलखन दुबे हो गया है. अतः अब मेरा परिवर्तित नाम ही पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

( सतेन्द्र दुबे )

पिता श्री रामलखन दुबे,

(703-बी.)

नया नाम :

( वीर वैद्य दुबे )

पिता श्री रामलखन दुबे,  
निवासी—ए/67, न्यू चिरहुला,  
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रीवा.**आम सूचना**

मै. श्री पवन देव कन्स्ट्रक्शन MIG-24, तिली हाउसिंग बोर्ड, कॉलोनी, सागर में आज दिनांक 16-03-2016 से श्रीमती कान्ता सिंह पति श्री एम. एस. ठाकुर, श्री आइ. पी. पटेल पुत्र श्री देवी प्रसाद पटेल, श्री अरविन्द सिंह ठाकुर पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री विशाल सिंह पुत्र श्री मुलायम सिंह, श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह फर्म से जुड़ रहे हैं.

मै. श्री पवन देव कन्स्ट्रक्शन कं.

सूर्यकान्त सिंह,

( पार्टनर ).

(704-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री नाकोड़ा ग्लोबल एग्रो एण्ड डेवलपर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 07/34/01/0013/15 एवं दिनांक 11-06-2013 है जिसमें दिनांक 19-08-2014 को भागीदार श्रीमती सोनू बंसल पति श्री मुकेश बंसल, निवासी नीमच एवं श्रीमती मोनिका जैन पति श्री संजय जैन, निवासी-नीमच अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 19-08-2014 से भागीदार संजय भण्डारी पुत्र श्री समरथमल भण्डारी, निवासी नीमच एवं श्री संदीप भण्डारी पुत्र श्री समरथमल भण्डारी, निवासी नीमच फर्म में सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 09-06-2015 को भागीदार श्रीमती मीनाक्षी भण्डारी पति श्री संदीप भण्डारी, निवासी नीमच एवं श्री संदीप भण्डारी पुत्र श्री रामरथमल भण्डारी, निवासी नीमच अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 09-06-2015 से श्रीमती निशा धानुका पति श्री कैलाश कुमार धानुका, निवासी नीमच एवं श्रीमती सरोज देवी धानुका पति श्री सुनील कुमार धानुका, निवासी नीमच भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो गयी हैं एवं 21-07-2015 को श्रीमती अनिता भण्डारी पति श्री संजय भण्डारी, निवासी नीमच एवं श्री संजय भण्डारी पुत्र श्री समरथमलजी भण्डारी, निवासी-नीमच अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा दिनांक 21-07-2015 से फर्म का पंजीकृत कार्यालय स्टेशन रोड, राज कॉलोनी नीमच के स्थान पर धानुका कम्पाउण्ड, सी. आर. पी. रोड, नीमच ( म.प्र. ) में स्थानांतरित हो गया है. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

फर्म-श्री नाकोड़ा ग्लोबल एग्रो एण्ड डेवलपर्स,

निशा देवी धानुका,

( भागीदार )

धानुका कम्पाउण्ड, सी. आर. पी. रोड, नीमच.

(705-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्याम कन्स्ट्रक्शन स्थित बी. एम. 48, डी. डी. नगर, ग्वालियर, जिसका पंजीयन नं. 02/42/01/00119/08, दिनांक 23-10-2008 है. जिसमें दिनांक 28-07-2012 को श्री अनूप कुमार शर्मा तनय श्री लालता प्रसाद शर्मा, निवासी चन्द्रपुरा, जिला भिण्ड एवं जगदीश प्रसाद शर्मा तनय श्री भोगीराम शर्मा, निवासी हरिशंकरपुरम, जिला ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स श्याम कन्स्ट्रक्शन,

अखिलेश कुमार शर्मा,

( भागीदार )

बी. एम. 48, डी. डी. नगर, ग्वालियर.

(706-बी.)

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 01 मार्च, 2016

### राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2015, परीक्षा दिनांक 24 जनवरी, 2016 ( रविवार ) संक्षिप्त समाचार विज्ञप्ति

वि. क्र. 25631/04/2016/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-01/परीक्षा/2015, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 04 दिसम्बर, 2015 ( शुद्धिपत्र क्रमांक 02/01/परीक्षा/2015/04 दिसम्बर, 2015 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 दिसम्बर, 2015 है ) (i) शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/01/परीक्षा/2015/20 नवम्बर, 2015 पद विवरण में संशोधन की सूचना, शुद्धि-पत्र क्रमांक (ii) शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/01/परीक्षा/2015/ 04 दिसम्बर, 2015 विज्ञापन में संशोधन तथा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की सूचना के अन्तर्गत कुल-410 पदों हेतु राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2015 परीक्षा दिनांक 24 जनवरी, 2016 ( रविवार ) दो सत्रों में प्रथम प्रश्नपत्र-सामान्य अध्ययन प्रातः 10.00 से 12.00 बजे एवं द्वितीय प्रश्नपत्र-सामान्य अभिरूचि परीक्षण अपराह्न 2.00 से 4.00 बजे तक 51 जिला मुख्यालयों पर परीक्षा आयोजित की गई थी.

उपरोक्त लिखित परीक्षा में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2015 हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 25631/04/2016/अनु.-10, दिनांक 01 मार्च, 2016 द्वारा घोषित किया गया है यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाइट- [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.in](http://www.mppsc.in) पर देखा जा सकता है. इस परीक्षा में कुल—2,45,636 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये एवं समस्त आवेदकों को लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये थे. इस परीक्षा में कुल-1,99,117 आवेदक उपस्थित हुए. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015 हेतु 7092 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये. इनमें से अनारक्षित-3712, अनुसूचित जाति-1204, अनुसूचित जनजाति-1246, अन्य पिछड़ा वर्ग-930 (कुल अर्ह आवेदकों में निःशक्त-301 सम्मिलित भूतपूर्व सैनिक-166 एवं समान अंक 943 प्राप्त अर्ह आवेदक सम्मिलित हैं.) भूतपूर्व सैनिक अनुसूचित जाति-33, अनुसूचित जनजाति-27 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-निरंक आवेदक कम प्राप्त हुए. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा फल की सूची ही प्रमाणित मानी जाएगी.

- राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2015 अर्ह आवेदकों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015 की लिखित परीक्षा दिनांक 12 अप्रैल, 2016 से होगी. इस हेतु अर्ह आवेदक आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.in](http://www.mppsc.in) पर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे.
- राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015 लिखित परीक्षा के समय प्रवेश-पत्र के साथ आवेदक अपना मूल फोटो पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लायेंगे. परीक्षा के समय इसकी प्रतिदिन जाँच की जावेगी. मूल पहचान-पत्र प्रवेश पत्र के साथ नहीं लाने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी.
- अर्ह आवेदक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015 में बैठने हेतु आवेदन-पत्र एम. पी. ऑनलाईन से दिनांक 08 मार्च, 2016 से 20 मार्च, 2016 तक भर सकेंगे. इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 08 मार्च, 2016 तक जारी कर दी जावेगी.
- आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
- लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

आर. आर. कान्हेरे,

परीक्षा नियंत्रक.

(246)

### राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2015, परीक्षा दिनांक 24 जनवरी, 2016 ( रविवार ) लिखित परीक्षा परिणाम

इन्दौर, दिनांक 01 मार्च, 2016

वि. क्र. 25631/04/2016/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-01/परीक्षा/2015, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 04 दिसम्बर, 2015 ( शुद्धिपत्र क्रमांक 02/01/परीक्षा/2015/ 04 दिसम्बर, 2015 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 दिसम्बर, 2015 है ) (i) शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/01/परीक्षा/2015/ 20 नवम्बर, 2015 पद विवरण में संशोधन की सूचना, शुद्धि-पत्र क्रमांक (ii) शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/01/परीक्षा/2015/04 दिसम्बर, 2015 विज्ञापन में संशोधन तथा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की सूचना के अन्तर्गत कुल-410 पदों हेतु राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2015 परीक्षा दिनांक 24 जनवरी, 2016 ( रविवार ) दो सत्रों में

प्रथम प्रश्नपत्र-सामान्य अध्ययन प्रातः 10.00 से 12.00 बजे एवं द्वितीय प्रश्नपत्र-सामान्य अभिरूचि परीक्षण अपराह्न 2.00 से 4.00 बजे तक 51 जिला मुख्यालयों पर परीक्षा आयोजित की गई थी।

उपरोक्त परीक्षा में पद संख्या के 15 गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक सम्मिलित हैं. कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या-7092 है. इनमें से श्रेणीवार प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है:-

श्रेणी	विज्ञापित पद-410	प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या-7092
(इनमें श्रेणीवार, समान अंक विकलांग एवं भूतपूर्व आवेदक भी सम्मिलित है.)		
अनारक्षित-	225	3712
अनुसूचित जाति-	65	1204
अनुसूचित जनजाति-	75	1246
अन्य पिछड़ा वर्ग-	45	930
	410	7092

कुल अर्ह आवेदकों 7092 में निःशक्त-301 एवं भूतपूर्व सैनिक-166 सम्मिलित है.

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी अनुसूचित जाति-33 एवं अनुसूचित जनजाति-27 आवेदक कम पाए गए.

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015 हेतु प्रावधिक अर्ह पाए गए-7092 आवेदकों के रोल नम्बर निम्नानुसार है:-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE SERVICE PRELIMINARY EXAM 2015

ROLL NO. WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES (PROVISIONAL)

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
1.	100005	29.	100509	57.	100899	85.	101338	113.	101752
2.	100007	30.	100523	58.	100909	86.	101366	114.	101781
3.	100013	31.	100542	59.	100932	87.	101367	115.	101792
4.	100015	32.	100578	60.	100973	88.	101375	116.	101825
5.	100019	33.	100611	61.	100983	89.	101378	117.	101851
6.	100031	34.	100618	62.	100992	90.	101394	118.	101855
7.	100069	35.	100628	63.	101008	91.	101409	119.	101870
8.	100099	36.	100631	64.	101035	92.	101410	120.	101908
9.	100103	37.	100632	65.	101038	93.	101411	121.	101909
10.	100106	38.	100635	66.	101048	94.	101429	122.	101922
11.	100117	39.	100656	67.	101063	95.	101433	123.	101934
12.	100131	40.	100675	68.	101092	96.	101443	124.	101944
13.	100175	41.	100691	69.	101120	97.	101445	125.	101971
14.	100197	42.	100695	70.	101130	98.	101484	126.	101997
15.	100199	43.	100712	71.	101145	99.	101486	127.	101998
16.	100286	44.	100729	72.	101155	100.	101513	128.	102017
17.	100291	45.	100746	73.	101168	101.	101525	129.	102028
18.	100321	46.	100786	74.	101175	102.	101533	130.	102041
19.	100334	47.	100800	75.	101182	103.	101547	131.	102051
20.	100340	48.	100805	76.	101189	104.	101563	132.	102052
21.	100351	49.	100807	77.	101221	105.	101567	133.	102059
22.	100373	50.	100817	78.	101238	106.	101576	134.	102062
23.	100412	51.	100825	79.	101241	107.	101597	135.	102068
24.	100413	52.	100827	80.	101256	108.	101603	136.	102075
25.	100423	53.	100844	81.	101268	109.	101616	137.	102090
26.	100463	54.	100846	82.	101273	110.	101652	138.	102106
27.	100482	55.	100864	83.	101299	111.	101729	139.	102140
28.	100484	56.	100870	84.	101317	112.	101730		

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
140.	102149	191.	102956	242.	103811	293.	104740	348.	105860
141.	102164	192.	102969	243.	103812	294.	104756	349.	105919
142.	102169	193.	102976	244.	103821	295.	104811	350.	105941
143.	102190	194.	102983	245.	103838	296.	104831	351.	105969
144.	102202	195.	102997	246.	103842	297.	104840	352.	105973
145.	102207	196.	103013	247.	103869	298.	104851	353.	105990
146.	102212	197.	103023	248.	103990	299.	104868	354.	106004
147.	102219	198.	103030	249.	103998	300.	104902	355.	106032
148.	102220	199.	103053	250.	104058	301.	104905	356.	106041
149.	102234	200.	103060	251.	104087	302.	104916	357.	106054
150.	102240	201.	103085	252.	104099	303.	104938	358.	106056
151.	102283	202.	103127	253.	104114	304.	104940	359.	106097
152.	102305	203.	103163	254.	104125	305.	104961	360.	106110
153.	102306	204.	103208	255.	104156	306.	105011	361.	106124
154.	102309	205.	103212	256.	104157	307.	105051	362.	106140
155.	102320	206.	103230	257.	104193	308.	105069	363.	106163
156.	102354	207.	103241	258.	104216	309.	105091	364.	106171
157.	102380	208.	103267	259.	104239	310.	105129	365.	106186
158.	102389	209.	103270	260.	104250	311.	105133	366.	106190
159.	102394	210.	103293	261.	104273	312.	105171	367.	106198
160.	102398	211.	103300	262.	104282	313.	105180	368.	106216
161.	102402	212.	103305	263.	104287	314.	105204	369.	106235
162.	102407	213.	103315	264.	104288	315.	105220	370.	106238
163.	102416	214.	103338	265.	104302	316.	105221	371.	106252
164.	102435	215.	103343	266.	104308	317.	105231	372.	106255
165.	102472	216.	103356	267.	104337	318.	105243	373.	106261
166.	102481	217.	103384	268.	104345	319.	105274	374.	106271
167.	102489	218.	103417	269.	104366	320.	105284	375.	106272
168.	102518	219.	103428	270.	104374	321.	105285	376.	106301
169.	102522	220.	103475	271.	104375	322.	105300	377.	106337
170.	102529	221.	103479	272.	104381	323.	105301	378.	106344
171.	102530	222.	103483	273.	104441	324.	105346	379.	106365
172.	102539	223.	103498	274.	144459	325.	105351	380.	106380
173.	102541	224.	103513	275.	104479	326.	105388	381.	106417
174.	102564	225.	103516	276.	104512	327.	105397	382.	106427
175.	102628	226.	103551	277.	104517	328.	105423	383.	106429
176.	102633	227.	103554	278.	104531	329.	105432	384.	106483
177.	102689	228.	103600	279.	104537	330.	105447	385.	106506
178.	102701	229.	103619	280.	104581	331.	105470	386.	106507
179.	102742	230.	103631	281.	104582	332.	105527	387.	106523
180.	102774	231.	103635	282.	104589	333.	105529	388.	106575
181.	102780	232.	103637	283.	104596	334.	105607	389.	106611
182.	102787	233.	103646	284.	104597	335.	105634	390.	106636
183.	102805	234.	103649	285.	104600	336.	105655	391.	106671
184.	102862	235.	103698	286.	104613	337.	105674	392.	106697
185.	102871	236.	103729	287.	104686	338.	105678	393.	106757
186.	102898	237.	103736	288.	104706	339.	105686	394.	106761
187.	102903	238.	103752	289.	104719	340.	105756	395.	106849
188.	102934	239.	103782	290.	104723	341.	105759	396.	106854
189.	102935	240.	103787	291.	104728	342.	105802	397.	106925
190.	102951	241.	103799	292.	104735	343.	105821	398.	106926
						344.	105823	399.	106968
						345.	105831	400.	106973
						346.	105839	401.	106983
						347.	105853	402.	107050

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
403.	107089	458.	108495	513.	109365	568.	110253	618.	111172
404.	107109	459.	108511	514.	109374	569.	110257	619.	111203
405.	107110	460.	108524	515.	109383	570.	110266	620.	111211
406.	107137	461.	108536	516.	109415	571.	110281	621.	111245
407.	107138	462.	108547	517.	109430	572.	110284	622.	111247
408.	107197	463.	108550	518.	109451	573.	110293	623.	111258
409.	107244	464.	108556	519.	109464	574.	110391	624.	111296
410.	107261	465.	108590	520.	109530	575.	110409	625.	111301
411.	107285	466.	108605	521.	109538	576.	110413	626.	111332
412.	107308	467.	108617	522.	109557	577.	110428	627.	111398
413.	107353	468.	108625	523.	109564	578.	110454	628.	111403
414.	107368	469.	108697	524.	109567	579.	110493	629.	111431
415.	107403	470.	108711	525.	109576	580.	110494	630.	111443
416.	107417	471.	108736	526.	109584	581.	110512	631.	111464
417.	107420	472.	108737	527.	109598	582.	110518	632.	111470
418.	107430	473.	108746	528.	109618	583.	110525	633.	111472
419.	107465	474.	108751	529.	109666	584.	110532	634.	111491
420.	107480	475.	108756	530.	109675	585.	110540	635.	111585
421.	107487	476.	108759	531.	109749	586.	110555	636.	111604
422.	107494	477.	108764	532.	109751	587.	110568	637.	111609
423.	107558	478.	108775	533.	109765	588.	110569	638.	111613
424.	107559	479.	108793	534.	109803	589.	110592	639.	111617
425.	107641	480.	108796	535.	109820	590.	110629	640.	111630
426.	107654	481.	108805	536.	109834	591.	110633	641.	111636
427.	107674	482.	108824	537.	109845	592.	110665	642.	111642
428.	107678	483.	108831	538.	109855	593.	110675	643.	111659
429.	107692	484.	108844	539.	109857	594.	110709	644.	111681
430.	107704	485.	108845	540.	109894	595.	110732	645.	111698
431.	107794	486.	108850	541.	109897	596.	110774	646.	111701
432.	107803	487.	108872	542.	109912	597.	110775	647.	111720
433.	107804	488.	108899	543.	109951	598.	110779	648.	111724
434.	107839	489.	108931	544.	109975	599.	110841	649.	111758
435.	107848	490.	108950	545.	109987	600.	110852	650.	111770
436.	107865	491.	108978	546.	109997	601.	110853	651.	111826
437.	107871	492.	108980	547.	110030	602.	110860	652.	111827
438.	107901	493.	108993	548.	110037	603.	110888	653.	111838
439.	107906	494.	108996	549.	110038	604.	110901	654.	111842
440.	107933	495.	109041	550.	110043	605.	110986	655.	111862
441.	107940	496.	109049	551.	110067	606.	111019	656.	111864
442.	107960	497.	109050	552.	110085	607.	111023	657.	111878
443.	107971	498.	109067	553.	110096	608.	111027	658.	111891
444.	108020	499.	109071	554.	110106	609.	111055	659.	111911
445.	108037	500.	109140	555.	110107	610.	111086	660.	111917
446.	108083	501.	109179	556.	110109	611.	111094	661.	111959
447.	108095	502.	109185	557.	110114	612.	111095	662.	111965
448.	108166	503.	109186	558.	110133	613.	111102	663.	111974
449.	108196	504.	109204	559.	110147	614.	111104		
450.	108216	505.	109207	560.	110158	615.	111134		
451.	108246	506.	109217	561.	110165	616.	111138		
452.	108257	507.	109223	562.	110186	617.	111144		
453.	108263	508.	109260	563.	110193				
454.	108264	509.	109262	564.	110196				
455.	108409	510.	109299	565.	110204				
456.	108428	511.	109303	566.	110213				
457.	108470	512.	109352	567.	110242				

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
664.	111993	710.	112846	756.	113747	802.	114530	848.	115397
665.	112028	711.	112883	757.	113749	803.	114532	849.	115428
666.	112061	712.	112893	758.	113750	804.	114599	850.	115437
667.	112083	713.	112913	759.	113760	805.	114629	851.	115438
668.	112100	714.	112964	760.	113768	806.	114641	852.	115453
669.	112106	715.	112996	761.	113784	807.	114657	853.	115470
670.	112111	716.	113021	762.	113798	808.	114679	854.	115473
671.	112136	717.	113024	763.	113808	809.	114712	855.	115479
672.	112142	718.	113034	764.	113819	810.	114716	856.	115497
673.	112156	719.	113094	765.	113822	811.	114731	857.	115504
674.	112183	720.	113103	766.	113828	812.	114746	858.	115554
675.	112202	721.	113110	767.	113842	813.	114784	859.	115570
676.	112204	722.	113114	768.	113861	814.	114826	860.	115595
677.	112209	723.	113128	769.	113894	815.	114839	861.	115600
678.	112324	724.	113134	770.	113906	816.	114854	862.	115652
679.	112344	725.	113144	771.	113942	817.	114855	863.	115657
680.	112345	726.	113153	772.	113943	818.	114856	864.	115671
681.	112385	727.	113172	773.	113964	819.	114876	865.	115714
682.	112390	728.	113183	774.	113971	820.	114891	866.	115716
683.	112408	729.	113193	775.	113978	821.	114897	867.	115739
684.	112416	730.	113221	776.	113994	822.	114917	868.	115747
685.	112463	731.	113227	777.	114001	823.	114922	669.	115760
686.	112466	732.	113229	778.	114015	824.	114939	870.	115764
687.	112489	733.	113255	779.	114046	825.	114954	871.	115794
688.	112496	734.	113259	780.	114052	826.	114972	872.	115814
689.	112505	735.	113278	781.	114068	827.	114990	873.	115820
690.	112506	736.	113296	782.	114106	828.	115060	874.	115834
691.	112530	737.	113298	783.	114127	829.	115077	875.	115842
692.	112538	738.	113308	784.	114154	830.	115111	876.	115863
693.	112555	739.	113329	785.	114164	831.	115128	877.	115872
694.	112575	740.	113340	786.	114205	832.	115189	878.	115892
695.	112621	741.	113360	787.	114219	833.	115213	879.	115924
696.	112625	742.	113362	788.	114236	834.	115217	880.	115941
697.	112643	743.	113512	789.	114241	835.	115232	881.	115949
698.	112644	744.	113515	790.	114248	836.	115234	882.	115961
699.	112655	745.	113584	791.	114252	837.	115238	883.	115972
700.	112677	746.	113592	792.	114293	838.	115241	884.	116018
701.	112706	747.	113607	793.	114317	839.	115284	885.	116042
702.	112722	748.	113614	794.	114416	840.	115285	886.	116049
703.	112744	749.	113666	795.	114437	841.	115295	887.	116050
704.	112768	750.	113668	796.	114457	842.	115334	888.	116059
705.	112777	751.	113669	797.	114459	843.	115361	889.	116065
706.	112804	752.	113672	798.	114492	844.	115363	890.	116080
707.	112830	753.	113679	799.	114503	845.	115367	891.	116097
708.	112837	754.	113696	800.	114526	846.	115368	892.	116149
709.	112844	755.	113741	801.	114527	847.	115378	893.	116151



S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
894.	116200	940.	116890	986.	117657	1032.	118336	1078.	119311
895.	116201	941.	116930	987.	117663	1033.	118352	1079.	119312
896.	116213	942.	116936	988.	117672	1034.	118355	1080.	119326
897.	116214	943.	116940	989.	117728	1035.	118359	1081.	119341
898.	116223	944.	116955	990.	117736	1036.	118360	1082.	119391
899.	116227	945.	116961	991.	117766	1037.	118379	1083.	119399
900.	116264	946.	116984	992.	117813	1038.	118380	1084.	119402
901.	116268	947.	116999	993.	117816	1039.	118421	1085.	119407
902.	116360	948.	117051	994.	117820	1040.	118427	1086.	119429
903.	116386	949.	117057	995.	117822	1041.	118432	1087.	119444
904.	116390	950.	117064	996.	117823	1042.	118433	1088.	119445
905.	116394	951.	117090	997.	117832	1043.	118437	1089.	119450
906.	116405	952.	117096	998.	117853	1044.	118501	1090.	119467
907.	116407	953.	117130	999.	117854	1045.	118505	1091.	119472
908.	116427	954.	117183	1000.	117865	1046.	118548	1092.	119485
909.	116521	955.	117202	1001.	117913	1047.	118573	1093.	119490
910.	116528	956.	117216	1002.	117948	1048.	118618	1094.	119498
911.	116538	957.	117223	1003.	117949	1049.	118666	1095.	119500
912.	116560	958.	117300	1004.	117969	1050.	118670	1096.	119548
913.	116571	959.	117301	1005.	118015	1051.	118712	1097.	119557
914.	116576	960.	117311	1006.	118022	1052.	118716	1098.	119577
915.	116577	961.	117332	1007.	118040	1053.	118741	1099.	119587
916.	116596	962.	117338	1008.	118049	1054.	118750	1100.	119598
917.	116621	963.	117339	1009.	118062	1055.	118765	1101.	119601
918.	116623	964.	117355	1010.	118105	1056.	118786	1102.	119608
919.	116657	965.	117369	1011.	118124	1057.	118816	1103.	119626
920.	116666	966.	117397	1012.	118125	1058.	118836	1104.	119631
921.	116703	967.	117446	1013.	118145	1059.	118905	1105.	119648
922.	116715	968.	117454	1014.	118163	1060.	118935	1106.	119679
923.	116718	969.	117476	1015.	118177	1061.	118944	1107.	119684
924.	116720	970.	117478	1016.	118178	1062.	118970	1108.	119751
925.	116722	971.	117484	1017.	118188	1063.	119009	1109.	119766
926.	116747	972.	117493	1018.	118190	1064.	119012	1110.	119788
927.	116748	973.	117513	1019.	118196	1065.	119017	1111.	119793
928.	116758	974.	117514	1020.	118207	1066.	119021	1112.	119801
929.	116759	975.	117545	1021.	118210	1067.	119037	1113.	119809
930.	116765	976.	117546	1022.	118212	1068.	119041	1114.	119834
931.	116773	977.	117555	1023.	118240	1069.	119082	1115.	119868
932.	116781	978.	117562	1024.	118251	1070.	119093	1116.	119947
933.	116797	979.	117568	1025.	118263	1071.	119118	1117.	119972
934.	116801	980.	117610	1026.	118272	1072.	119131	1118.	119977
935.	116803	981.	117625	1027.	118279	1073.	119152	1119.	120012
936.	116804	982.	117628	1028.	118307	1074.	119187	1120.	120042
937.	116820	983.	117647	1029.	118329	1075.	119232	1121.	120045
938.	116843	984.	117653	1030.	118332	1076.	119249	1122.	120046
939.	116847	985.	117654	1031.	118335	1077.	119278	1123.	120050

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
1124.	120057	1170.	120921	1223.	121766	1278.	122766	1333.	123767
1125.	120060	1171.	120931	1224.	121794	1279.	122768	1334.	123772
1126.	120092	1172.	120935	1225.	121846	1280.	122772	1335.	123821
1127.	120183	1173.	120936	1226.	121886	1281.	122784	1336.	123831
1128.	120194	1174.	121019	1227.	121894	1282.	122789	1337.	123865
1129.	120229	1175.	121036	1228.	121917	1283.	122797	1338.	123870
1130.	120270	1176.	121047	1229.	121918	1284.	122845	1339.	123885
1131.	120305	1177.	121065	1230.	121934	1285.	122852	1340.	123913
1132.	120324	1178.	121066	1231.	121953	1286.	122861	1341.	123944
1133.	120325	1179.	121099	1232.	121972	1287.	122890	1342.	123965
1134.	120379	1180.	121108	1233.	122019	1288.	122940	1343.	124008
1135.	120408	1181.	121119	1234.	122037	1289.	122941	1344.	124016
1136.	120432	1182.	121129	1235.	122045	1290.	122942	1345.	124018
1137.	120435	1183.	121150	1236.	122057	1291.	122944	1346.	124027
1138.	120437	1184.	121153	1237.	122075	1292.	122951	1347.	124029
1139.	120448	1185.	121196	1238.	122084	1293.	122952	1348.	124062
1140.	120456	1186.	121208	1239.	122106	1294.	122984	1349.	124099
1141.	120460	1187.	121210	1240.	122116	1295.	122990	1350.	124105
1142.	120476	1188.	121212	1241.	122121	1296.	122994	1351.	124108
1143.	120489	1189.	121299	1242.	122126	1297.	122995	1352.	124131
1144.	120505	1190.	121333	1243.	122129	1298.	123004	1353.	124138
1145.	120578	1191.	121343	1244.	122147	1299.	123006	1354.	124145
1146.	120582	1192.	121349	1245.	122151	1300.	123007	1355.	124166
1147.	120599	1193.	121354	1246.	122197	1301.	123026	1356.	124197
1148.	120629	1194.	121377	1247.	122239	1302.	123032	1357.	124263
1149.	120632	1195.	121390	1248.	122255	1303.	123044	1358.	124269
1150.	120656	1196.	121406	1249.	122290	1304.	123065	1359.	124292
1151.	120661	1197.	121414	1250.	122293	1305.	123101	1360.	124295
1152.	120698	1198.	121424	1251.	122296	1306.	123106	1361.	124321
1153.	120704	1199.	121425	1252.	122319	1307.	123109	1362.	124340
1154.	120709	1200.	121429	1253.	122339	1308.	123110	1363.	124360
1155.	120713	1201.	121458	1254.	122348	1309.	123113	1364.	124361
1156.	120727	1202.	121461	1255.	122364	1310.	123143	1365.	124374
1157.	120731	1203.	121478	1256.	122393	1311.	123169	1366.	124420
1158.	120745	1204.	121479	1257.	122396	1312.	123170	1367.	124441
1159.	120746	1205.	121482	1258.	122406	1313.	123206	1368.	124449
1160.	120772	1206.	121493	1259.	122417	1314.	123231	1369.	124471
1161.	120784	1207.	121495	1260.	122426	1315.	123313	1370.	124495
1162.	120795	1208.	121497	1261.	122462	1316.	123369	1371.	124508
1163.	120797	1209.	121511	1262.	122473	1317.	123381	1372.	124530
1164.	120816	1210.	121518	1263.	122516	1318.	123385	1373.	124536
1165.	120821	1211.	121541	1264.	122517	1319.	123395	1374.	124565
1166.	120830	1212.	121556	1265.	122542	1320.	123401	1375.	124603
1167.	120836	1213.	121564	1266.	122549	1321.	123436	1376.	124623
1168.	120843	1214.	121590	1267.	122551	1322.	123437	1377.	124624
1169.	120896	1215.	121611	1268.	122553	1323.	123448	1378.	124638
		1216.	121631	1269.	122557	1324.	123521	1379.	124646
		1217.	121634	1270.	122573	1325.	123551	1380.	124711
		1218.	121641	1271.	122580	1326.	123596	1381.	124731
		1219.	121649	1272.	122594	1327.	123603	1382.	124745
		1220.	121651	1273.	122637	1328.	123645	1383.	124756
		1221.	121659	1274.	122658	1329.	123657	1384.	124800
		1222.	121756	1275.	122684	1330.	123676	1385.	124801
				1276.	122732	1331.	123698	1386.	124841
				1277.	122741	1332.	123705	1387.	124846

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
1388.	124855	1443.	125976	1498.	127007	1553.	127882	1608.	128996
1389.	124866	1444.	125986	1499.	127040	1554.	127917	1609.	129062
1390.	124867	1445.	126024	1500.	127073	1555.	127967	1610.	129067
1391.	124883	1446.	126033	1501.	127115	1556.	128002	1611.	129125
1392.	124938	1447.	126096	1502.	127122	1557.	128008	1612.	129149
1393.	124941	1448.	126104	1503.	127124	1558.	128059	1613.	129182
1394.	124972	1449.	126140	1504.	127126	1559.	128086	1614.	129208
1395.	124984	1450.	126221	1505.	127129	1560.	128096	1615.	129241
1396.	124990	1451.	126225	1506.	127142	1561.	128120	1616.	129245
1397.	124995	1452.	126234	1507.	127149	1562.	128123	1617.	129251
1398.	125003	1453.	126241	1508.	127172	1563.	128155	1618.	129316
1399.	125017	1454.	126247	1509.	127210	1564.	128169	1619.	129343
1400.	125031	1455.	126263	1510.	127256	1565.	128177	1620.	129348
1401.	125083	1456.	126271	1511.	127269	1566.	128190	1621.	129351
1402.	125117	1457.	126279	1512.	127292	1567.	128192	1622.	129374
1403.	125129	1458.	126281	1513.	127301	1568.	128194	1623.	129408
1404.	125147	1459.	126284	1514.	127304	1569.	128202	1624.	129412
1405.	125153	1460.	126320	1515.	127308	1570.	128219	1625.	129420
1406.	125187	1461.	126340	1516.	127312	1571.	128222	1626.	129443
1407.	125195	1462.	126370	1517.	127341	1572.	128234	1627.	129464
1408.	125200	1463.	126394	1518.	127348	1573.	128239	1628.	129501
1409.	125256	1464.	126410	1519.	127367	1574.	128263	1629.	129509
1410.	125280	1465.	126419	1520.	127375	1575.	128316	1630.	129511
1411.	125324	1466.	126428	1521.	127387	1576.	128329	1631.	129527
1412.	125336	1467.	126435	1522.	127393	1577.	128336	1632.	129529
1413.	125341	1468.	126443	1523.	127396	1578.	128341	1633.	129626
1414.	125344	1469.	126450	1524.	127418	1579.	128368	1634.	129627
1415.	125365	1470.	126474	1525.	127438	1580.	128370	1635.	129630
1416.	125376	1471.	126512	1526.	127441	1581.	128416	1636.	129638
1417.	125394	1472.	126524	1527.	127451	1582.	128432	1637.	129641
1418.	125401	1473.	126540	1528.	127468	1583.	128469	1638.	129653
1419.	125465	1474.	126546	1529.	127474	1584.	128529	1639.	129659
1420.	125494	1475.	126547	1530.	127503	1585.	128542	1640.	129666
1421.	125504	1476.	126589	1531.	127513	1586.	128586	1641.	129715
1422.	125582	1477.	126624	1532.	127526	1587.	128594	1642.	129751
1423.	125602	1478.	126658	1533.	127569	1588.	128650	1643.	129817
1424.	125623	1479.	126661	1534.	127570	1589.	128665	1644.	129842
1425.	125642	1480.	126684	1535.	127571	1590.	128707	1645.	129861
1426.	125674	1481.	126701	1536.	127605	1591.	128713	1646.	129862
1427.	125689	1482.	126715	1537.	127608	1592.	128724	1647.	129869
1428.	125704	1483.	126722	1538.	127647	1593.	128778	1648.	129900
1429.	125705	1484.	126731	1539.	127660	1594.	128784	1649.	129909
1430.	125715	1485.	126737	1540.	127661	1595.	128789	1650.	129917
1431.	125743	1486.	126740	1541.	127678	1596.	128798	1651.	129982
1432.	125759	1487.	126783	1542.	127683	1597.	128847	1652.	129984
1433.	125761	1488.	126818	1543.	127689	1598.	128848	1653.	129999
1434.	125793	1489.	126846	1544.	127695	1599.	128858	1654.	130017
1435.	125852	1490.	126851	1545.	127744	1600.	128872	1655.	130042
1436.	125897	1491.	126872	1546.	127748	1601.	128873	1656.	130054
1437.	125917	1492.	126936	1547.	127787	1602.	128894	1657.	130069
1438.	125929	1493.	126962	1548.	127795	1603.	128906	1658.	130070
1439.	125934	1494.	126969	1549.	127805	1604.	128938	1659.	130072
1440.	125935	1495.	126972	1550.	127819	1605.	128942	1660.	130098
1441.	125954	1496.	126973	1551.	127839	1606.	128944	1661.	130107
1442.	125973	1497.	126992	1552.	127849	1607.	128945	1662.	130117

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
1663.	130118	1718.	131268	1773.	132461	1828.	134529	1883.	136415
1664.	130121	1719.	131277	1774.	132475	1829.	134586	1884.	136421
1665.	130136	1720.	131294	1775.	132530	1830.	134590	1885.	136477
1666.	130170	1721.	131297	1776.	132590	1831.	134657	1886.	136507
1667.	130175	1722.	131316	1777.	132619	1832.	134666	1887.	136513
1668.	130186	1723.	131341	1778.	132652	1833.	134708	1888.	136515
1669.	130218	1724.	131375	1779.	132674	1834.	134787	1889.	136563
1670.	130238	1725.	131389	1780.	132677	1835.	134821	1890.	136646
1671.	130248	1726.	131450	1781.	132689	1836.	134823	1891.	136672
1672.	130269	1727.	131464	1782.	132707	1837.	134829	1892.	136727
1673.	130278	1728.	131478	1783.	132719	1838.	134856	1893.	136744
1674.	130291	1729.	131483	1784.	133069	1839.	134921	1894.	136750
1675.	130320	1730.	131499	1785.	133087	1840.	134945	1895.	136751
1676.	130346	1731.	131515	1786.	133113	1841.	135160	1896.	136780
1677.	130384	1732.	131534	1787.	133114	1842.	135165	1897.	136796
1678.	130414	1733.	131561	1788.	133144	1843.	135206	1898.	136798
1679.	130415	1734.	131593	1789.	133160	1844.	135209	1899.	136896
1680.	130422	1735.	131614	1790.	133169	1845.	135258	1900.	136914
1681.	130453	1736.	131620	1791.	133195	1846.	135296	1901.	136924
1682.	130463	1737.	131665	1792.	133205	1847.	135354	1902.	136945
1683.	130472	1738.	131666	1793.	133264	1848.	135431	1903.	136960
1684.	130479	1739.	131673	1794.	133316	1849.	135454	1904.	137005
1685.	130514	1740.	131700	1795.	133349	1850.	135499	1905.	137071
1686.	130532	1741.	131740	1796.	133351	1851.	135500	1906.	137252
1687.	130542	1742.	131763	1797.	133388	1852.	135544	1907.	137259
1688.	130545	1743.	131770	1798.	133408	1853.	135595	1908.	137263
1689.	130593	1744.	131797	1799.	133413	1854.	135629	1909.	137311
1690.	130609	1745.	131816	1800.	133478	1855.	135637	1910.	137346
1691.	130630	1746.	131819	1801.	133522	1856.	135673	1911.	137363
1692.	130643	1747.	131832	1802.	133563	1857.	135713	1912.	137373
1693.	130654	1748.	131866	1803.	133566	1858.	135735	1913.	137497
1694.	130657	1749.	131881	1804.	133567	1859.	135821	1914.	137502
1695.	130726	1750.	131888	1805.	133571	1860.	135840	1915.	137530
1696.	130749	1751.	131894	1806.	133576	1861.	135841	1916.	137568
1697.	130754	1752.	131901	1807.	133624	1862.	135843	1917.	137575
1698.	130784	1753.	131911	1808.	133733	1863.	135859	1918.	137791
1699.	130800	1754.	131931	1809.	133781	1864.	135906	1919.	137794
1700.	130812	1755.	131935	1810.	133838	1865.	135918	1920.	137833
1701.	130840	1756.	131947	1811.	133907	1866.	135924	1921.	137849
1702.	130852	1757.	131958	1812.	133930	1867.	135937	1922.	137885
1703.	130885	1758.	132001	1813.	133937	1868.	135950	1923.	137932
1704.	130917	1759.	132006	1814.	133960	1869.	135951	1924.	138065
1705.	130957	1760.	132012	1815.	133984	1870.	135997	1925.	138170
1706.	130966	1761.	132044	1816.	134058	1871.	136012	1926.	138244
1707.	130970	1762.	132078	1817.	134059	1872.	136018	1927.	138305
1708.	130987	1763.	132112	1818.	134077	1873.	136101	1928.	138329
1709.	131053	1764.	132193	1819.	134117	1874.	136147	1929.	138448
1710.	131076	1765.	132230	1820.	134138	1875.	136164	1930.	138465
1711.	131084	1766.	132232	1821.	134228	1876.	136226	1931.	138528
1712.	131117	1767.	132233	1822.	134241	1877.	136230	1932.	138536
1713.	131145	1768.	132273	1823.	134392	1878.	136247	1933.	138550
1714.	131151	1769.	132279	1824.	134476	1879.	136258	1934.	138578
1715.	131154	1770.	132284	1825.	134494	1880.	136270	1935.	138647
1716.	131160	1771.	132319	1826.	134526	1881.	136290	1936.	138685
1717.	131171	1772.	132412	1827.	134527	1882.	136314	1937.	138716

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
1938.	138798	1993.	141901	2048.	143946	2103.	146674	2158.	148268
1939.	138799	1994.	141912	2049.	143962	2104.	146704	2159.	148316
1940.	139144	1995.	141974	2050.	144008	2105.	146770	2160.	148380
1941.	139215	1996.	142006	2051.	144055	2106.	146806	2161.	148397
1942.	139239	1997.	142012	2052.	144098	2107.	146839	2162.	148408
1943.	139274	1998.	142032	2053.	144144	2108.	146886	2163.	148424
1944.	139317	1999.	142126	2054.	144192	2109.	146909	2164.	148439
1945.	139407	2000.	142141	2055.	144197	2110.	146978	2165.	148454
1946.	139445	2001.	142155	2056.	144273	2111.	147149	2166.	148455
1947.	139519	2002.	142161	2057.	144327	2112.	147171	2167.	148461
1948.	139546	2003.	142230	2058.	144387	2113.	147222	2168.	148462
1949.	139586	2004.	142234	2059.	144419	2114.	147245	2169.	148464
1950.	139643	2005.	142297	2060.	144539	2115.	147254	2170.	148466
1951.	139726	2006.	142350	2061.	144576	2116.	147419	2171.	148477
1952.	139862	2007.	142380	2062.	144578	2117.	147431	2172.	148502
1953.	139891	2008.	142395	2063.	144608	2118.	147449	2173.	148508
1954.	139911	2009.	142409	2064.	144690	2119.	147453	2174.	148511
1955.	139932	2010.	142488	2065.	144709	2120.	147486	2175.	148545
1956.	140105	2011.	142506	2066.	144753	2121.	147501	2176.	148562
1957.	140124	2012.	142531	2067.	144766	2122.	147503	2177.	148636
1958.	140145	2013.	142558	2068.	144838	2123.	147538	2178.	148667
1959.	140276	2014.	142587	2069.	144847	2124.	147543	2179.	148755
1960.	140370	2015.	142609	2070.	144913	2125.	147552	2180.	148793
1961.	140392	2016.	142625	2071.	145218	2126.	147555	2181.	148863
1962.	140400	2017.	142650	2072.	145275	2127.	147610	2182.	148869
1963.	140489	2018.	142812	2073.	145392	2128.	147620	2183.	148872
1964.	140557	2019.	142833	2074.	145403	2129.	147635	2184.	148878
1965.	140635	2020.	142850	2075.	145508	2130.	147661	2185.	148888
1966.	140794	2021.	142910	2076.	145540	2131.	147662	2186.	148892
1967.	140855	2022.	142911	2077.	145615	2132.	147676	2187.	148961
1968.	140877	2023.	142925	2078.	145647	2133.	147747	2188.	148969
1969.	140937	2024.	142966	2079.	145653	2134.	147756	2189.	149003
1970.	140952	2025.	143002	2080.	145682	2135.	147774	2190.	149010
1971.	140957	2026.	143024	2081.	145694	2136.	147832	2191.	149094
1972.	140978	2027.	143068	2082.	145867	2137.	147843	2192.	149098
1973.	140986	2028.	143083	2083.	145871	2138.	147848	2193.	149112
1974.	140989	2029.	143199	2084.	145939	2139.	147853	2194.	149133
1975.	141096	2030.	143275	2085.	145979	2140.	147862	2195.	149158
1976.	141203	2031.	143286	2086.	146032	2141.	147912	2196.	149161
1977.	141252	2032.	143352	2087.	146070	2142.	147916	2197.	149174
1978.	141299	2033.	143385	2088.	146109	2143.	147932	2198.	149180
1979.	141304	2034.	143404	2089.	146209	2144.	147960	2199.	149189
1980.	141337	2035.	143467	2090.	146243	2145.	147962	2200.	149191
1981.	141377	2036.	143477	2091.	146257	2146.	147977	2201.	149193
1982.	141390	2037.	143493	2092.	146272	2147.	147986	2202.	149255
1983.	141491	2038.	143550	2093.	146295	2148.	147989	2203.	149271
1984.	141515	2039.	143627	2094.	146315	2149.	148066	2204.	149300
1985.	141529	2040.	143635	2095.	146428	2150.	148080	2205.	149328
1986.	141562	2041.	143647	2096.	146434	2151.	148086	2206.	149350
1987.	141601	2042.	143658	2097.	146452	2152.	148091	2207.	149358
1988.	141626	2043.	143746	2098.	146493	2153.	148092	2208.	149399
1989.	141639	2044.	143772	2099.	146495	2154.	148115	2209.	149464
1990.	141733	2045.	143806	2100.	146515	2155.	148129	2210.	149491
1991.	141767	2046.	143891	2101.	146659	2156.	148176	2211.	149530
1992.	141847	2047.	143929	2102.	146666	2157.	148262	2212.	149542

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
2213.	149690	2268.	151486	2323.	153549	2378.	155447	2433.	157499
2214.	149719	2269.	151558	2324.	153569	2379.	155513	2434.	157517
2215.	149878	2270.	151586	2325.	153624	2380.	155527	2435.	157542
2216.	149910	2271.	151612	2326.	153644	2381.	155531	2436.	157595
2217.	149934	2272.	151615	2327.	153660	2382.	155563	2437.	157597
2218.	149946	2273.	151641	2328.	153663	2383.	155612	2438.	157628
2219.	149991	2274.	151651	2329.	153684	2384.	155737	2439.	157636
2220.	149993	2275.	151687	2330.	153696	2385.	155758	2440.	157647
2221.	150004	2276.	151739	2331.	153749	2386.	155764	2441.	157682
2222.	150051	2277.	151758	2332.	153852	2387.	155783	2442.	157721
2223.	150095	2278.	151784	2333.	153901	2388.	155826	2443.	157735
2224.	150117	2279.	151828	2334.	153961	2389.	155861	2444.	157740
2225.	150123	2280.	151901	2335.	153991	2390.	155895	2445.	157743
2226.	150127	2281.	151932	2336.	154020	2391.	155909	2446.	157780
2227.	150172	2282.	152002	2337.	154046	2392.	155954	2447.	157786
2228.	150210	2283.	152085	2338.	154056	2393.	155994	2448.	157910
2229.	150211	2284.	152094	2339.	154062	2394.	156018	2449.	157983
2230.	150227	2285.	152200	2340.	154111	2395.	156023	2450.	158079
2231.	150228	2286.	152271	2341.	154113	2396.	156033	2451.	158125
2232.	150239	2287.	152287	2342.	154197	2397.	156040	2452.	158126
2233.	150291	2288.	152299	2343.	154230	2398.	156076	2453.	158139
2234.	150386	2289.	152340	2344.	154248	2399.	156085	2454.	158150
2235.	150422	2290.	152404	2345.	154298	2400.	156172	2455.	158164
2236.	150466	2291.	152523	2346.	154318	2401.	156176	2456.	158200
2237.	150492	2292.	152580	2347.	154374	2402.	156224	2457.	158207
2238.	150545	2293.	152674	2348.	154410	2403.	156328	2458.	158232
2239.	150645	2294.	152718	2349.	154413	2404.	156342	2459.	158251
2240.	150657	2295.	152848	2350.	154438	2405.	156348	2460.	158271
2241.	150687	2296.	152870	2351.	154456	2406.	156414	2461.	158404
2242.	150717	2297.	152876	2352.	154460	2407.	156461	2462.	158471
2243.	150750	2298.	152892	2353.	154475	2408.	156510	2463.	158500
2244.	150795	2299.	152957	2354.	154505	2409.	156567	2464.	158519
2245.	150916	2300.	153040	2355.	154612	2410.	156613	2465.	158522
2246.	150960	2301.	153062	2356.	154617	2411.	156617	2466.	158544
2247.	150968	2302.	153069	2357.	154648	2412.	156623	2467.	158579
2248.	150981	2303.	153085	2358.	154735	2413.	156629	2468.	158616
2249.	150983	2304.	153113	2359.	154764	2414.	156640	2469.	158620
2250.	150984	2305.	153119	2360.	154860	2415.	156653	2470.	158657
2251.	150988	2306.	153133	2361.	154872	2416.	156778	2471.	158678
2252.	151012	2307.	153159	2362.	154878	2417.	156789	2472.	158741
2253.	151019	2308.	153173	2363.	154916	2418.	156802	2473.	158742
2254.	151020	2309.	153181	2364.	154941	2419.	156832	2474.	158770
2255.	151077	2310.	153203	2365.	155105	2420.	156861	2475.	158774
2256.	151094	2311.	153230	2366.	155108	2421.	156876	2476.	158781
2257.	151097	2312.	153241	2367.	155114	2422.	156881	2477.	158818
2258.	151148	2313.	153251	2368.	155171	2423.	156929	2478.	158839
2259.	151190	2314.	153279	2369.	155196	2424.	156961	2479.	158908
2260.	151203	2315.	153320	2370.	155232	2425.	156975	2480.	158917
2261.	151215	2316.	153343	2371.	155259	2426.	157053	2481.	158933
2262.	151303	2317.	153381	2372.	155291	2427.	157091	2482.	158971
2263.	151316	2318.	153437	2373.	155296	2428.	157113	2483.	159020
2264.	151327	2319.	153457	2374.	155298	2429.	157115	2484.	159033
2265.	151346	2320.	153476	2375.	155337	2430.	157293	2485.	159042
2266.	151444	2321.	153491	2376.	155349	2431.	157375	2486.	159045
2267.	151469	2322.	153544	2377.	155422	2432.	157436	2487.	159122

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
2488.	159179	2543.	161025	2598.	162895	2653.	165371	2708.	167329
2489.	159186	2544.	161055	2599.	162998	2654.	165402	2709.	167340
2490.	159247	2545.	161071	2600.	163117	2655.	165411	2710.	167393
2491.	159248	2546.	161144	2601.	163132	2656.	165412	2711.	167396
2492.	159254	2547.	161172	2602.	163146	2657.	165436	2712.	167491
2493.	159276	2548.	161224	2603.	163163	2658.	165445	2713.	167499
2494.	159289	2549.	161230	2604.	163293	2659.	165461	2714.	167516
2495.	159399	2550.	161249	2605.	163294	2660.	165473	2715.	167517
2496.	159406	2551.	161292	2606.	163303	2661.	165479	2716.	167574
2497.	159475	2552.	161344	2607.	163366	2662.	165501	2717.	167604
2498.	159545	2553.	161510	2608.	163376	2663.	165505	2718.	167661
2499.	159548	2554.	161512	2609.	163474	2664.	165550	2719.	167697
2500.	159571	2555.	161513	2610.	163475	2665.	165573	2720.	167763
2501.	159629	2556.	161519	2611.	163499	2666.	165582	2721.	167771
2502.	159656	2557.	161538	2612.	163536	2667.	165621	2722.	167816
2503.	159661	2558.	161559	2613.	163556	2668.	165648	2723.	167823
2504.	159663	2559.	161593	2614.	163616	2669.	165655	2724.	167899
2505.	159673	2560.	161651	2615.	163745	2670.	165777	2725.	167977
2506.	159681	2561.	161652	2616.	163848	2671.	165816	2726.	168094
2507.	159700	2562.	161655	2617.	163874	2672.	165837	2727.	168102
2508.	159748	2563.	161676	2618.	163884	2673.	165932	2728.	168105
2509.	159810	2564.	161687	2619.	163910	2674.	165975	2729.	168209
2510.	159821	2565.	161696	2620.	164052	2675.	166157	2730.	168263
2511.	159864	2566.	161697	2621.	164089	2676.	166214	2731.	168277
2512.	159885	2567.	161708	2622.	164140	2677.	166241	2732.	168402
2513.	159904	2568.	161789	2623.	164243	2678.	166242	2733.	168437
2514.	159907	2569.	161822	2624.	164249	2679.	166270	2734.	168440
2515.	159911	2570.	161823	2625.	164335	2680.	166314	2735.	168476
2516.	159914	2571.	161831	2626.	164371	2681.	166332	2736.	168477
2517.	159931	2572.	161838	2627.	164418	2682.	166553	2737.	168492
2518.	160003	2573.	161912	2628.	164473	2683.	166602	2738.	168545
2519.	160031	2574.	161967	2629.	164535	2684.	166611	2739.	168588
2520.	160079	2575.	162076	2630.	164536	2685.	166651	2740.	168612
2521.	160085	2576.	162147	2631.	164542	2686.	166658	2741.	168618
2522.	160112	2577.	162152	2632.	164606	2687.	166732	2742.	168644
2523.	160119	2578.	162167	2633.	164635	2688.	166736	2743.	168660
2524.	160196	2579.	162313	2634.	164672	2689.	166750	2744.	168677
2525.	160277	2580.	162364	2635.	164770	2690.	166762	2745.	168679
2526.	160339	2581.	162385	2636.	164789	2691.	166812	2746.	168687
2527.	160380	2582.	162394	2637.	164822	2692.	166826	2747.	168719
2528.	160471	2583.	162458	2638.	164956	2693.	166830	2748.	168762
2529.	160483	2584.	162531	2639.	164991	2694.	166884	2749.	168769
2530.	160486	2585.	162607	2640.	165002	2695.	166895	2750.	168782
2531.	160581	2586.	162628	2641.	165093	2696.	166952	2751.	168816
2532.	160703	2587.	162650	2642.	165095	2697.	166962	2752.	168822
2533.	160746	2588.	162674	2643.	165108	2698.	167033	2753.	168853
2534.	160749	2589.	162682	2644.	165109	2699.	167045	2754.	168890
2535.	160851	2590.	162688	2645.	165115	2700.	167125	2755.	168892
2536.	160863	2591.	162715	2646.	165133	2701.	167141	2756.	168921
2537.	160865	2592.	162718	2647.	165167	2702.	167199	2757.	168942
2538.	160950	2593.	162746	2648.	165262	2703.	167213	2758.	168963
2539.	160964	2594.	162833	2649.	165269	2704.	167251	2759.	169030
2540.	160971	2595.	162861	2650.	165281	2705.	167257	2760.	169068
2541.	160997	2596.	162862	2651.	165303	2706.	167282	2761.	169161
2542.	160999	2597.	162872	2652.	165342	2707.	167323	2762.	169245

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
2763.	169309	2818.	171572	2873.	173262	2928.	175054	2983.	176182
2764.	169313	2819.	171580	2874.	173291	2929.	175139	2984.	176209
2765.	169352	2820.	171583	2875.	173338	2930.	175147	2985.	176240
2766.	169355	2821.	171617	2876.	173343	2931.	175232	2986.	176252
2767.	169381	2822.	171625	2877.	173357	2932.	175237	2987.	176254
2768.	169418	2823.	171645	2878.	173403	2933.	175243	2988.	176261
2769.	169452	2824.	171665	2879.	173442	2934.	175250	2989.	176268
2770.	169477	2825.	171696	2880.	173515	2935.	175264	2990.	176269
2771.	169504	2826.	171783	2881.	173533	2936.	175265	2991.	176277
2772.	169550	2827.	171794	2882.	173534	2937.	175299	2992.	176280
2773.	169635	2828.	171821	2883.	173540	2938.	175312	2993.	176285
2774.	169650	2829.	171850	2884.	173547	2939.	175324	2994.	176288
2775.	169684	2830.	171881	2885.	173560	2940.	175359	2995.	176332
2776.	169693	2831.	171906	2886.	173604	2941.	175388	2996.	176335
2777.	169724	2832.	171912	2887.	173616	2942.	175391	2997.	176374
2778.	169740	2833.	171936	2888.	173714	2943.	175410	2998.	176375
2779.	169788	2834.	171945.	2889.	173754	2944.	175422	2999.	176378
2780.	169796	2835.	171966	2890.	173763	2945.	175437	3000.	176397
2781.	169834	2836.	171999	2891.	173806	2946.	175438	3001.	176417
2782.	169862	2837.	172026	2892.	173834	2947.	175461	3002.	176466
2783.	169885	2838.	172037	2893.	173882	2948.	175485	3003.	176469
2784.	169907	2839.	172052	2894.	173887	2949.	175497	3004.	176483
2785.	169957	2840.	172055	2895.	173893	2950.	175501	3005.	176497
2786.	170029	2841.	172098	2896.	173901	2951.	175507	3006.	176499
2787.	170084	2842.	172105	2897.	173916	2952.	175540	3007.	176505
2788.	170097	2843.	172119	2898.	173981	2953.	175574	3008.	176523
2789.	170162	2844.	172173	2899.	174046	2954.	175581	3009.	176561
2790.	170193	2845.	172184	2900.	174215	2955.	175585	3010.	176578
2791.	170308	2846.	172206	2901.	174229	2956.	175597	3011.	176631
2792.	170364	2847.	172223	2902.	174231	2957.	175620	3012.	176636
2793.	170391	2848.	172268	2903.	174242	2958.	175641	3013.	176649
2794.	170508	2849.	172271	2904.	174248	2959.	175664	3014.	176669
2795.	170514	2850.	172306	2905.	174366	2960.	175687	3015.	176717
2796.	170567	2851.	172414	2906.	174421	2961.	175701	3016.	176720
2797.	170573	2852.	172435	2907.	174429	2962.	175722	3017.	176722
2798.	170589	2853.	172467	2908.	174437	2963.	175796	3018.	176725
2799.	170601	2854.	172532	2909.	174458	2964.	175815	3019.	176727
2800.	170645	2855.	172545	2910.	174464	2965.	175818	3020.	176731
2801.	170691	2856.	172598	2911.	174505	2966.	175828	3021.	176854
2802.	170774	2857.	172637	2912.	174518	2967.	175829	3022.	176901
2803.	170846	2858.	172657	2913.	174550	2968.	175830	3023.	176907
2804.	171052	2859.	172689	2914.	174561	2969.	175835	3024.	176910
2805.	171068	2860.	172735	2915.	174675	2970.	175839	3025.	176946
2806.	171122	2861.	172799	2916.	174683	2971.	175877	3026.	176970
2807.	171180	2862.	172820	2917.	174693	2972.	175904	3027.	176974
2808.	171192	2863.	172930	2918.	174784	2973.	175940	3028.	176989
2809.	171213	2864.	172946	2919.	174806	2974.	176017	3029.	177035
2810.	171257	2865.	172952	2920.	174870	2975.	176019	3030.	177044
2811.	171304	2866.	172955	2921.	174905	2976.	176028	3031.	177053
2812.	171340	2867.	172986	2922.	174939	2977.	176030	3032.	177064
2813.	171341	2868.	173011	2923.	175013	2978.	176042	3033.	177088
2814.	171426	2869.	173057	2924.	175031	2979.	176069	3034.	177091
2815.	171437	2870.	173077	2925.	175045	2980.	176071	3035.	177096
2816.	171489	2871.	173138	2926.	175046	2981.	176096	3036.	177097
2817.	171519	2872.	173222	2927.	175047	2982.	176144	3037.	177111



S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
3038.	177119	3093.	178414	3148.	180564	3203.	183306	3258.	185345
3039.	177120	3094.	178429	3149.	180585	3204.	183323	3259.	185350
3040.	177123	3095.	178435	3150.	180616	3205.	183423	3260.	185361
3041.	177131	3096.	178442	3151.	180658	3206.	183470	3261.	185440
3042.	177240	3097.	178444	3152.	180666	3207.	183478	3262.	185470
3043.	177344	3098.	178453	3153.	180674	3208.	183571	3263.	185505
3044.	177388	3099.	178460	3154.	180807	3209.	183585	3264.	185519
3045.	177401	3100.	178495	3155.	180852	3210.	183705	3265.	185538
3046.	177438	3101.	178515	3156.	180913	3211.	183740	3266.	185549
3047.	177487	3102.	178521	3157.	180925	3212.	183741	3267.	185589
3048.	177523	3103.	178566	3158.	181002	3213.	183857	3268.	185662
3049.	177525	3104.	178633	3159.	181037	3214.	183883	3269.	185663
3050.	177536	3105.	178671	3160.	181064	3215.	183959	3270.	185683
3051.	177537	3106.	178692	3161.	181091	3216.	184046	3271.	185711
3052.	177613	3107.	178699	3162.	181120	4217.	184069	3272.	185751
3053.	177684	3108.	178742	3163.	181151	3218.	184102	3273.	185792
3054.	177689	3109.	178749	3164.	181179	3219.	184165	3274.	185808
3055.	177720	3110.	178798	3165.	181191	3220.	184236	3275.	185833
3056.	177759	3111.	178799	3166.	181245	3221.	184303	3276.	185856
3057.	177816	3112.	178933	3167.	181286	3222.	184409	3277.	185942
3058.	177822	3113.	178935	3168.	181331	3223.	184426	3278.	186240
3059.	177825	3114.	178937	3169.	181437	3224.	184459	3279.	186289
3060.	177842	3115.	178955	3170.	181449	3225.	184464	3280.	186347
3061.	177845	3116.	178973	3171.	181482	3226.	184465	3281.	186388
3062.	177846	3117.	178979	3172.	181650	3227.	184472	3282.	186436
3063.	177874	3118.	179094	3173.	181707	3228.	184486	3283.	186606
3064.	177903	3119.	179118	3174.	181760	3229.	184567	3284.	186720
3065.	177906	3120.	179133	3175.	181848	3230.	184581	3285.	186741
3066.	177908	3121.	179148	3176.	181895	3231.	184657	3286.	186769
3067.	177911	3122.	179211	3177.	181905	3232.	184658	3287.	186996
3068.	177912	3123.	179264	3178.	181920	3233.	184700	3288.	187011
3069.	177922	3124.	179310	3179.	181951	3234.	184734	3289.	187148
3070.	177928	3125.	179320	3180.	181973	3235.	184747	3290.	187200
3071.	177987	3126.	179427	3181.	182072	3236.	184753	3291.	187250
3072.	178010	3127.	179444	3182.	182078	3237.	184788	3292.	187298
3073.	178018	3128.	179451	3183.	182116	3238.	184792	3293.	187339
3074.	178033	3129.	179510	3184.	182132	3239.	184797	3294.	187397
3075.	178051	3130.	179685	3185.	182147	3240.	184839	3295.	187404
3076.	178053	3131.	179869	3186.	182238	3241.	184846	3296.	187494
3077.	178055	3132.	179932	3187.	182241	3242.	184868	3297.	187516
3078.	178069	3133.	179985	3188.	182321	3243.	184869	3298.	187520
3079.	178071	3134.	180021	3189.	182381	3244.	184890	3299.	187583
3080.	178074	3135.	180026	3190.	182384	3245.	184903	3300.	187586
3081.	178102	3136.	180073	3191.	182423	3246.	184919	3301.	187589
3082.	178108	3137.	180098	3192.	182436	3247.	184925	3302.	187657
3083.	178115	3138.	180176	3193.	182620	3248.	184934	3303.	187704
3084.	178129	3139.	180177	3194.	182670	3249.	184935	3304.	187801
3085.	178193	3140.	180247	3195.	182756	3250.	184952	3305.	187816
3086.	178199	3141.	180289	3196.	182767	3251.	184985	3306.	187842
3087.	178246	3142.	180357	3197.	182961	3252.	184999	3307.	187937
3088.	178288	3143.	180384	3198.	182980	3253.	185027	3308.	188068
3089.	178308	3144.	180397	3199.	183034	3254.	185077	3309.	188076
3090.	178311	3145.	180453	3200.	183108	3255.	185086	3310.	188174
3091.	178398	3146.	180533	3201.	183155	3256.	185239	3311.	188194
3092.	178405	3147.	180549	3202.	183305	3257.	185292	3312.	188223

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
3313.	188234	3368.	190411	3423.	191298	3478.	192514	3533.	193794
3314.	188254	3369.	190443	3424.	191299	3479.	192541	3534.	193868
3315.	188264	3370.	190456	3425.	191307	3480.	192558	3535.	193882
3316.	188318	3371.	190463	3426.	191321	3481.	192563	3536.	193897
3317.	188344	3372.	190466	3427.	191364	3482.	192572	3537.	193908
3318.	188475	3373.	190470	3428.	191379	3483.	192590	3538.	193959
3319.	188518	3374.	190499	3429.	191419	3484.	192592	3539.	194004
3320.	188534	3375.	190516	3430.	191433	3485.	192627	3540.	194117
3321.	188547	3376.	190530	3431.	191437	3486.	192638	3541.	194134
3322.	188584	3377.	190600	3432.	191438	3487.	192641	3542.	194173
3323.	188604	3378.	190620	3433.	191459	3488.	192642	3543.	194229
3324.	188605	3379.	190650	3434.	191480	3489.	192651	3544.	194248
3325.	188631	3380.	190663	3435.	191485	3490.	192660	3545.	194279
3326.	188642	3381.	190668	3436.	191493	3491.	192705	3546.	194353
3327.	188664	3382.	190713	3437.	191499	3492.	192736	3547.	194357
3328.	188692	3383.	190722	3438.	191523	3493.	192777	3548.	194371
3329.	188730	3384.	190739	3439.	191534	3494.	192800	3549.	194389
3330.	188761	3385.	190770	3440.	191538	3495.	192838	3550.	194415
3331.	188813	3386.	190773	3441.	191545	3496.	192864	3551.	194431
3332.	188871	3387.	190789	3442.	191556	3497.	192904	3552.	194518
3333.	188901	3388.	190794	3443.	191560	3498.	192911	3553.	194535
3334.	188985	3389.	190795	3444.	191589	3499.	192943	3554.	194551
3335.	189008	3390.	190835	3445.	191604	3500.	192957	3555.	194566
3336.	189010	3391.	190842	3446.	191626	3501.	192958	3556.	194635
3337.	189057	3392.	190872	3447.	191639	3502.	192960	3557.	194672
3338.	189096	3393.	190884	3448.	191670	3503.	192992	3558.	194743
3339.	189122	3394.	190936	3449.	191676	3504.	193019	3559.	194796
3340.	189136	3395.	190937	3450.	191682	3505.	193070	3560.	194858
3341.	189154	3396.	190948	3451.	191707	3506.	193071	3561.	194879
3342.	189185	3397.	190959	3452.	191725	3507.	193087	3562.	194884
3343.	189193	3398.	190966	3453.	191752	3508.	193280	3563.	194943
3344.	189346	3399.	190986	3454.	191784	3509.	193282	3564.	195043
3345.	189357	3400.	191003	3455.	191793	3510.	193287	3565.	195078
3346.	189373	3401.	191022	3456.	191809	3511.	193305	3566.	195086
3347.	189387	3402.	191028	3457.	191810	3512.	193329	3567.	195096
3348.	189450	3403.	191041	3458.	191818	3513.	193336	3568.	195160
3349.	189466	3404.	191054	3459.	191845	3514.	193363	3569.	195169
3350.	189488	3405.	191071	3460.	191857	3515.	193383	3570.	195238
3351.	189495	3406.	191073	3461.	191860	3516.	193416	3571.	195259
3352.	189517	3407.	191077	3462.	191886	3517.	193443	3572.	195271
3353.	189529	3408.	191078	3463.	191961	3518.	193484	3573.	195292
3354.	189645	3409.	191101	3464.	191966	3519.	193492	3574.	195294
3355.	189730	3410.	191110	3465.	191972	3520.	193507	3575.	195316
3356.	189738	3411.	191139	3466.	191983	3521.	193527	3576.	195388
3357.	189769	3412.	191145	3467.	191984	3522.	193528	3577.	195396
3358.	189869	3413.	191147	3468.	192065	3523.	193535	3578.	195403
3359.	190005	3414.	191201	3469.	192081	3524.	193547	3579.	195412
3360.	190063	3415.	191212	3470.	192091	3525.	193548	3580.	195421
3361.	190084	3416.	191233	3471.	192102	3526.	193566	3581.	195453
3362.	190165	3417.	191238	3472.	192193	3527.	193604	3582.	195477
3363.	190167	3418.	191240	3473.	192200	3528.	193686	3583.	195501
3364.	190254	3419.	191247	3474.	192217	3529.	193726	3584.	195532
3365.	190348	3420.	191265	3475.	192310	3530.	193733	3585.	195576
3366.	190381	3421.	191266	3476.	192316	3531.	193739	3586.	195642
3367.	190392	3422.	191283	3477.	192319	3532.	193763	3587.	195683

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
3588.	195716	3643.	197845	3698.	199275	3753.	201109	3808.	202297
3589.	195739	3644.	197909	3699.	199279	3754.	201132	3809.	202298
3590.	195772	3645.	197910	3700.	199297	3755.	201151	3810.	202299
3591.	195773	3646.	197937	3701.	199375	3756.	201234	3811.	202310
3592.	195838	3647.	197948	3702.	199386	3757.	201257	3812.	202379
3593.	195890	3648.	197963	3703.	199434	3758.	201361	3813.	202515
3594.	195895	3649.	197968	3704.	199527	3759.	201379	3814.	202517
3595.	195911	3650.	197977	3705.	199530	3760.	201385	3815.	202526
3596.	195946	3651.	197978	3706.	199590	3761.	201386	3816.	202529
3597.	195967	3652.	197988	3707.	199596	3762.	201389	3817.	202532
3598.	195994	3653.	198065	3708.	199625	3763.	201407	3818.	202558
3599.	195998	3654.	198110	3709.	199658	3764.	201526	3819.	202571
3600.	196058	3655.	198227	3710.	199666	3765.	201548	3820.	202587
3601.	196068	3656.	198256	3711.	199676	3766.	201568	3821.	202595
3602.	196085	3657.	198264	3712.	199752	3767.	201579	3822.	202597
3603.	196165	3658.	198268	3713.	199774	3768.	201636	3823.	202605
3604.	196170	3659.	198316	3714.	199917	3769.	201653	3824.	202659
3605.	196174	3660.	198325	3715.	199950	3770.	201659	3825.	202672
3606.	196225	3661.	198331	3716.	199956	3771.	201677	3826.	202721
3607.	196230	3662.	198338	3717.	199996	3772.	201745	3827.	202763
3608.	196231	3663.	198372	3718.	199999	3773.	201746	3828.	202796
3609.	196308	3664.	198384	3719.	200012	3774.	201754	3829.	202906
3610.	196318	3665.	198451	3720.	200014	3775.	201761	3830.	202970
3611.	196332	3666.	198458	3721.	200029	3776.	201792	3831.	202998
3612.	196512	3667.	198473	3722.	200051	3777.	201827	3832.	203021
3613.	196629	3668.	198496	3723.	200088	3778.	201855	3833.	203053
3614.	196657	3669.	198520	3724.	200098	3779.	201859	3834.	203058
3615.	196709	3670.	198533	3725.	200103	3780.	201902	3835.	203155
3616.	196841	3671.	198541	3726.	200184	3781.	201909	3836.	203161
3617.	196857	3672.	198544	3727.	200250	3782.	201944	3837.	203162
3618.	196905	3673.	198576	3728.	200297	3783.	201960	3838.	203168
3619.	196988	3674.	198587	3729.	200323	3784.	201972	3839.	203207
3620.	197006	3675.	198588	3730.	200441	3785.	201974	3840.	203244
3621.	197007	3676.	198603	3731.	200464	3786.	201989	3841.	203246
3622.	197017	3677.	198655	3732.	200483	3787.	202016	3842.	203296
3623.	197053	3678.	198710	3733.	200540	3788.	202024	3843.	203319
3624.	197098	3679.	198715	3734.	200578	3789.	202044	3844.	203356
3625.	197115	3680.	198745	3735.	200584	3790.	202053	3845.	203366
3626.	197126	3681.	198791	3736.	200586	3791.	202065	3846.	203396
3627.	197147	3682.	198807	3737.	200607	3792.	202107	3847.	203469
3628.	197210	3683.	198899	3738.	200683	3793.	202119	3848.	203500
3629.	197263	3684.	198900	3739.	200726	3794.	202129	3849.	203521
3630.	197312	3685.	198986	3740.	200732	3795.	202149	3850.	203541
3631.	197334	3686.	198995	3741.	200742	3796.	202166	3851.	203544
3632.	197336	3687.	199015	3742.	200817	3797.	202174	3852.	203622
3633.	197443	3688.	199031	3743.	200891	3798.	202180	3853.	203668
3634.	197451	3689.	199088	3744.	200899	3799.	202196	3854.	203675
3635.	197466	3690.	199097	3745.	200906	3800.	202197	3855.	203683
3636.	197482	3691.	199162	3746.	200930	3801.	202198	3856.	203693
3637.	197527	3692.	199187	3747.	200932	3802.	202202	3857.	203698
3638.	197599	3693.	199222	3748.	200979	3803.	202212	3858.	203708
3639.	197611	3694.	199231	3749.	200991	3804.	202246	3859.	203711
3640.	197619	3695.	199242	3750.	201001	3805.	202253	3860.	203781
3641.	197643	3696.	199243	3751.	201085	3806.	202272	3861.	203811
3642.	197778	3697.	199265	3752.	201096	3807.	202296	3862.	203821

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
3863.	203850	3918.	205266	3973.	207135	4028.	209338	4083.	212278
3864.	203873	3919.	205278	3974.	207173	4029.	209339	4084.	212299
3865.	203941	3920.	205308	3975.	207183	4030.	209404	4085.	212302
3866.	203953	3921.	205313	3976.	207231	4031.	209414	4086.	212394
3867.	203965	3922.	205314	3977.	207275	4032.	209495	4087.	212499
3868.	203976	3923.	205345	3978.	207303	4033.	209575	4088.	212525
3869.	204001	3924.	205369	3979.	207332	4034.	209620	4089.	212613
3870.	204069	3925.	205456	3980.	207429	4035.	209651	4090.	212624
3871.	204132	3926.	205481	3981.	207442	4036.	209714	4091.	212635
3872.	204184	3927.	205546	3982.	207525	4037.	209739	4092.	212667
3873.	204204	3928.	205559	3983.	207527	4038.	209761	4093.	212679
3874.	204214	3929.	205611	3984.	207548	4039.	209767	4094.	212720
3875.	204307	3930.	205620	3985.	207549	4040.	209811	4095.	212742
3876.	204310	3931.	205622	3986.	207557	4041.	209928	4096.	212763
3877.	204334	3932.	205628	3987.	207565	4042.	209936	4097.	212774
3878.	204341	3933.	205657	3988.	207596	4043.	209991	4098.	212830
3879.	204342	3934.	205725	3989.	207599	4044.	210048	4099.	212847
3880.	204364	3935.	205727	3990.	207606	4045.	210078	4100.	212848
3881.	204385	3936.	205744	3991.	207617	4046.	210100	4101.	212889
3882.	204398	3937.	205762	3992.	207653	4047.	210192	4102.	212978
3883.	204401	3938.	205773	3993.	207664	4048.	210195	4103.	212999
3884.	204419	3939.	205784	3994.	207757	4049.	210287	4104.	213008
3885.	204446	3940.	205861	3995.	207822	4050.	210315	4105.	213028
3886.	204457	3941.	205871	3996.	207837	4051.	210334	4106.	213108
3887.	204476	3942.	205888	3997.	207869	4052.	210395	4107.	213132
3888.	204483	3943.	205899	3998.	208018	4053.	210457	4108.	213262
3889.	204487	3944.	205917	3999.	208034	4054.	210489	4109.	213314
3890.	204499	3945.	205984	4000.	208078	4055.	210538	4110.	213384
3891.	204501	3946.	206036	4001.	208080	4056.	210547	4111.	213408
3892.	204569	3947.	206050	4002.	208081	4057.	210565	4112.	213412
3893.	204611	3948.	206127	4003.	208110	4058.	210589	4113.	213425
3894.	204621	3949.	206138	4004.	208121	4059.	210674	4114.	213444
3895.	204649	3950.	206140	4005.	208193	4060.	210763	4115.	213489
3896.	204655	3951.	206181	4006.	208238	4061.	210900	4116.	213522
3897.	204705	3952.	206296	4007.	208389	4062.	210901	4117.	213535
3898.	204771	3953.	206337	4008.	208412	4063.	210919	4118.	213585
3899.	204792	3954.	206344	4009.	208452	4064.	211052	4119.	213601
3900.	204795	3955.	206348	4010.	208483	4065.	211170	4120.	213614
3901.	204815	3956.	206408	4011.	208492	4066.	211203	4121.	213641
3902.	204827	3957.	206416	4012.	208500	4067.	211337	4122.	213694
3903.	204900	3958.	206440	4013.	208538	4068.	211384	4123.	213735
3904.	204995	3959.	206451	4014.	208572	4069.	211416	4124.	213751
3905.	205018	3960.	206501	4015.	208642	4070.	211560	4125.	213787
3906.	205051	3961.	206590	4016.	208683	4071.	211621	4126.	213922
3907.	205074	3962.	206669	4017.	208769	4072.	211682	4127.	213935
3908.	205121	3963.	206769	4018.	208801	4073.	211856	4128.	213950
3909.	205124	3964.	206779	4019.	208825	4074.	211879	4129.	214036
3910.	205129	3965.	206787	4020.	208848	4075.	211882	4130.	214064
3911.	205132	3966.	206809	4021.	208970	4076.	211884	4131.	214118
3912.	205133	3967.	206844	4022.	209016	4077.	211902	4132.	214147
3913.	205185	3968.	206846	4023.	209066	4078.	212072	4133.	214182
3914.	205219	3969.	206879	4024.	209070	4079.	212163	4134.	214266
3915.	205249	3970.	206902	4025.	209072	4080.	212243	4135.	214279
3916.	205261	3971.	206914	4026.	209088	4081.	212261	4136.	214344
3917.	205262	3972.	207115	4027.	209127	4082.	212276		

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
4137.	214364	4192.	216450	4247.	218855	4302.	221497	4357.	224289
4138.	214370	4193.	216478	4248.	218869	4303.	221502	4358.	224458
4139.	214380	4194.	216523	4249.	218882	4304.	221538	4359.	224538
4140.	214392	4195.	216531	4250.	218922	4305.	221562	4360.	224545
4141.	214395	4196.	216552	4251.	218957	4306.	221661	4361.	224566
4142.	214426	4197.	216564	4252.	219026	4307.	221714	4362.	224578
4143.	214517	4198.	216574	4253.	219065	4308.	221824	4363.	224639
4144.	214523	4199.	216649	4254.	219156	4309.	221885	4364.	224698
4145.	214526	4200.	216717	4255.	219177	4310.	221921	4365.	224705
4146.	214604	4201.	216729	4256.	219193	4311.	221944	4366.	224718
4147.	214610	4202.	216730	4257.	219198	4312.	221981	4367.	224748
4148.	214700	4203.	216821	4258.	219213	4313.	222024	4368.	224756
4149.	214774	4204.	216866	4259.	219230	4314.	222092	4369.	224778
4150.	214776	4205.	216989	4260.	219265	4315.	222138	4370.	224791
4151.	214819	4206.	217028	4261.	219279	4316.	222145	4371.	224802
4152.	214847	4207.	217060	4262.	219385	4317.	222227	4372.	224804
4153.	214865	4208.	217105	4263.	219400	4318.	222233	4373.	224819
4154.	214942	4209.	217175	4264.	219443	4319.	222264	4374.	225290
4155.	214988	4210.	217376	4265.	219447	4320.	222269	4375.	225433
4156.	215010	4211.	217387	4266.	219473	4321.	222275	4376.	225708
4157.	215072	4212.	217480	4267.	219601	4322.	222292	4377.	225722
4158.	215076	4213.	217541	4268.	219656	4323.	222313	4378.	225803
4159.	215089	4214.	217557	4269.	219677	4324.	222329	4379.	225836
4160.	215094	4215.	217567	4270.	219750	4325.	222425	4380.	225889
4161.	215119	4216.	217597	4271.	219810	4326.	222502	4381.	225896
4162.	215163	4217.	217606	4272.	219829	4327.	222628	4382.	226013
4163.	215227	4218.	217613	4273.	219883	4328.	222693	4383.	226103
4164.	215247	4219.	217628	4274.	219908	4329.	222732	4384.	226117
4165.	215277	4220.	217659	4275.	219975	4330.	222742	4385.	226208
4166.	215306	4221.	217771	4276.	220016	4331.	222884	4386.	226423
4167.	215333	4222.	217774	4277.	220092	4332.	223006	4387.	226450
4168.	215368	4223.	217796	4278.	220174	4333.	223008	4388.	226462
4169.	215414	4224.	217808	4279.	220205	4334.	223019	4389.	226479
4170.	215424	4225.	217809	4280.	220378	4335.	223035	4390.	226484
4171.	215446	4226.	217831	4281.	220384	4336.	223169	4391.	226563
4172.	215520	4227.	217870	4282.	220419	4337.	223177	4392.	226600
4173.	215559	4228.	217917	4283.	220454	4338.	223309	4393.	226690
4174.	215577	4229.	218033	4284.	220511	4339.	223331	4394.	226716
4175.	215691	4230.	218053	4285.	220529	4340.	223383	4395.	226798
4176.	215706	4231.	218108	4286.	220559	4341.	223543	4396.	226834
4177.	215723	4232.	218118	4287.	220561	4342.	223587	4397.	226874
4178.	215737	4233.	218124	4288.	220610	4343.	223626	4398.	226997
4179.	215833	4234.	218145	4289.	220670	4344.	223660	4399.	227002
4180.	215886	4235.	218314	4290.	220781	4345.	223747	4400.	227022
4181.	215929	4236.	218323	4291.	220848	4346.	223759	4401.	227062
4182.	216021	4237.	218444	4292.	221029	4347.	223760	4402.	227110
4183.	216159	4238.	218495	4293.	221037	4348.	223841	4403.	227166
4184.	216168	4239.	218584	4294.	221053	4349.	223846	4404.	227184
4185.	216192	4240.	218607	4295.	221129	4350.	223976	4405.	227332
4186.	216273	4241.	218619	4296.	221147	4351.	223988	4406.	227345
4187.	216294	4242.	218685	4297.	221221	4352.	224012	4407.	227374
4188.	216306	4243.	218713	4298.	221270	4353.	224110	4408.	227528
4189.	216344	4244.	218754	4299.	221427	4354.	224211	4409.	227546
4190.	216403	4245.	218784	4300.	221430	4355.	224253	4410.	227576
4191.	216434	4246.	218793	4301.	221480	4356.	224276	4411.	227741

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
4412.	227749	4467.	231141	4522.	232625	4577.	234045	4632.	235473
4413.	227756	4468.	231191	4523.	232656	4578.	234053	4633.	235475
4414.	227765	4469.	231261	4524.	232669	4579.	234068	4634.	235489
4415.	227795	4470.	231263	4525.	232727	4580.	234075	4635.	235490
4416.	227845	4471.	231319	4526.	232757	4581.	234088	4636.	235499
4417.	227860	4472.	231331	4527.	232763	4582.	234167	4637.	235510
4418.	227866	4473.	231337	4528.	232820	4583.	234193	4638.	235528
4419.	227898	4474.	231355	4529.	232823	4584.	234197	4639.	235576
4420.	227930	4475.	231375	4530.	232844	4585.	234262	4640.	235708
4421.	227939	4476.	231378	4531.	232872	4586.	234293	4641.	235794
4422.	228035	4477.	231429	4532.	232887	4587.	234294	4642.	235828
4423.	228117	4478.	231444	4533.	232898	4588.	234318	4643.	235858
4424.	228123	4479.	231489	4534.	232903	4589.	234331	4644.	235879
4425.	228212	4480.	231518	4535.	232920	4590.	234335	4645.	235958
4426.	228268	4481.	231532	4536.	232940	4591.	234341	4646.	235964
4427.	228363	4482.	231586	4537.	232947	4592.	234404	4647.	235970
4428.	228545	4483.	231614	4538.	232954	4593.	234424	4648.	236054
4429.	228691	4484.	231622	4539.	232961	4594.	234439	4649.	236078
4430.	228765	4485.	231629	4540.	232979	4595.	234472	4650.	236084
4431.	228770	4486.	231669	4541.	232999	4596.	234499	4651.	236112
4432.	228782	4487.	231684	4542.	233116	4597.	234523	4652.	236161
4433.	228808	4488.	231724	4543.	233120	4598.	234602	4653.	236169
4434.	228844	4489.	231741	4544.	233200	4599.	234627	4654.	236248
4435.	228905	4490.	231743	4545.	233216	4600.	234671	4655.	236281
4436.	228909	4491.	231767	4546.	233231	4601.	234742	4656.	236304
4437.	229060	4492.	231801	4547.	233249	4602.	234765	4657.	236328
4438.	229220	4493.	231813	4548.	233250	4603.	234774	4658.	236423
4439.	229228	4494.	231818	4549.	233276	4604.	234824	4659.	236459
4440.	229264	4495.	231828	4550.	233353	4605.	234856	4660.	236470
4441.	229328	4496.	231852	4551.	233358	4606.	234861	4661.	236542
4442.	229340	4497.	231857	4552.	233385	4607.	234862	4662.	236558
4443.	229352	4498.	231860	4553.	233404	4608.	234891	4663.	236630
4444.	229402	4499.	231941	4554.	233413	4609.	234950	4664.	236718
4445.	229592	4500.	232028	4555.	233431	4610.	234969	4665.	236727
4446.	229596	4501.	232051	4556.	233479	4611.	235019	4666.	236770
4447.	229608	4502.	232121	4557.	233488	4612.	235045	4667.	236781
4448.	229635	4503.	232144	4558.	233548	4613.	235046	4668.	236833
4449.	229666	4504.	232171	4559.	233552	4614.	235079	4669.	236888
4450.	229723	4505.	232239	4560.	233579	4615.	235085	4670.	237067
4451.	229778	4506.	232245	4561.	233593	4616.	235097	4671.	237109
4452.	229929	4507.	232266	4562.	233639	4617.	235104	4672.	237118
4453.	229930	4508.	232272	4563.	233704	4618.	235113	4673.	237136
4454.	230026	4509.	232306	4564.	233736	4619.	235140	4674.	237143
4455.	230194	4510.	232335	4565.	233789	4620.	235160	4675.	237182
4456.	230417	4511.	232357	4566.	233821	4621.	235173	4676.	237190
4457.	230460	4512.	232360	4567.	233835	4622.	235177	4677.	237198
4458.	230572	4513.	232367	4568.	233862	4623.	235182	4678.	237216
4459.	230700	4514.	232372	4569.	233885	4624.	235223	4679.	237222
4460.	230799	4515.	232418	4570.	233887	4625.	235235	4680.	237231
4461.	230875	4516.	232422	4571.	233904	4626.	235240	4681.	237245
4462.	230895	4517.	232425	4572.	233939	4627.	235333	4682.	237254
4463.	230904	4518.	232503	4573.	233949	4628.	235339	4683.	237261
4464.	230912	4519.	232561	4574.	233953	4629.	235345	4684.	237370
4465.	231106	4520.	232573	4575.	234003	4630.	235384	4685.	237443
4466.	231110	4521.	232600	4576.	234043	4631.	235403	4686.	237498

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
4687.	237571	4742.	240024	4797.	243033	4852.	244941	4907.	246508
4688.	237620	4743.	240149	4798.	243076	4853.	244970	4908.	246511
4689.	237689	4744.	240284	4799.	243113	4854.	244985	4909.	246586
4690.	237726	4745.	240302	4800.	243150	4855.	245003	4910.	246643
4691.	237731	4746.	240352	4801.	243221	4856.	245059	4911.	246712
4692.	237746	4747.	240517	4802.	243244	4857.	245062	4912.	246759
4693.	237755	4748.	240575	4803.	243290	4858.	245120	4913.	246773
4694.	237758	4749.	240619	4804.	243320	4859.	245134	4914.	246792
4695.	237815	4750.	240649	4805.	243336	4860.	245148	4915.	246805
4696.	237825	4751.	240658	4806.	243354	4861.	245182	4916.	246855
4697.	237827	4752.	240671	4807.	243363	4862.	245303	4917.	246867
4698.	237942	4753.	240768	4808.	243381	4863.	245332	4918.	246871
4699.	237972	4754.	240862	4809.	243382	4864.	245377	4919.	246907
4700.	237974	4755.	240865	4810.	243398	4865.	245387	4920.	246917
4701.	238010	4756.	240969	4811.	243417	4866.	245406	4921.	246953
4702.	238109	4757.	240988	4812.	243422	4867.	245445	4922.	246995
4703.	238117	4758.	241011	4813.	243600	4868.	245447	4923.	246999
4704.	238128	4759.	241113	4814.	243614	4869.	245570	4924.	247047
4705.	238165	4760.	241139	4815.	243616	4870.	245580	4925.	247050
4706.	238173	4761.	241157	4816.	243675	4871.	245600	4926.	247074
4707.	238175	4762.	241221	4817.	243714	4872.	245623	4927.	247087
4708.	238197	4763.	241295	4818.	243807	4873.	245625	4928.	247153
4709.	238373	4764.	241333	4819.	243822	4874.	245626	4929.	247205
4710.	238460	4765.	241351	4820.	243893	4875.	245628	4930.	247212
4711.	238514	4766.	241356	4821.	244007	4876.	245641	4931.	247265
4712.	238570	4767.	241393	4822.	244053	4877.	245643	4932.	247270
4713.	238627	4768.	241395	4823.	244056	4878.	245661	4933.	247284
4714.	238639	4769.	241516	4824.	244070	4879.	245675	4934.	247295
4715.	238699	4770.	241531	4825.	244090	4880.	245678	4935.	247312
4716.	238727	4771.	241648	4826.	244137	4881.	245683	4936.	247323
4717.	238956	4772.	241655	4827.	244141	4882.	245684	4937.	247357
4718.	238961	4773.	241706	4828.	244165	4883.	245700	4938.	247385
4719.	238991	4774.	241846	4829.	244176	4884.	245762	4939.	247390
4720.	239038	4775.	241930	4830.	244248	4885.	245792	4940.	247432
4721.	239074	4776.	241931	4831.	244250	4886.	245830	4941.	247459
4722.	239153	4777.	241965	4832.	244344	4887.	245848	4942.	247461
4723.	239215	4778.	242023	4833.	244353	4888.	245851	4943.	247487
4724.	239396	4779.	242044	4834.	244406	4889.	245915	4944.	247588
4725.	239433	4780.	242079	4835.	244442	4890.	245959	4945.	247626
4726.	239437	4781.	242156	4836.	244450	4891.	245980	4946.	247640
4727.	239500	4782.	242191	4837.	244468	4892.	245995	4947.	247731
4728.	239589	4783.	242259	4838.	244477	4893.	246042	4948.	247738
4729.	239597	4784.	242271	4839.	244493	4894.	246063	4949.	247757
4730.	239646	4785.	242315	4840.	244501	4895.	246120	4950.	247782
4731.	239698	4786.	242336	4841.	244509	4896.	246123	4951.	247784
4732.	239728	4787.	242482	4842.	244525	4897.	246137	4952.	247868
4733.	239750	4788.	242498	4843.	244664	4898.	246171	4953.	247912
4734.	239758	4789.	242545	4844.	244688	4899.	246187	4954.	247914
4735.	239777	4790.	242626	4845.	244731	4900.	246202	4955.	247934
4736.	239812	4791.	242641	4846.	244732	4901.	246234	4956.	247995
4737.	239842	4792.	242681	4847.	244744	4902.	246241	4957.	248106
4738.	239856	4793.	242711	4848.	244767	4903.	246280	4958.	248166
4739.	239932	4794.	242743	4849.	244783	4904.	246361	4959.	248379
4740.	239978	4795.	242773	4850.	244854	4905.	246392	4960.	248395
4741.	240016	4796.	242840	4851.	244867	4906.	246458	4961.	248496

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
4962.	248585	5017.	250951	5072.	253017	5127.	255215	5182.	257624
4963.	248588	5018.	251033	5073.	253027	5128.	255244	5183.	257638
4964.	248600	5019.	251107	5074.	253058	5129.	255254	5184.	257645
4965.	248612	5020.	251111	5075.	253059	5130.	255263	5185.	257647
4966.	248632	5021.	251181	5076.	253109	5131.	255277	5186.	257832
4967.	248644	5022.	251236	5077.	253135	5132.	255373	5187.	257942
4968.	248649	5023.	251352	5078.	253176	5133.	255406	5188.	257974
4969.	248670	5024.	251358	5079.	253194	5134.	255457	5189.	258002
4970.	248798	5025.	251380	5080.	253222	5135.	255544	5190.	258077
4971.	248952	5026.	251439	5081.	253224	5136.	255550	5191.	258102
4972.	249064	5027.	251471	5082.	253237	5137.	255616	5192.	258112
4973.	249078	5028.	251482	5083.	253248	5138.	255646	5193.	258138
4974.	249092	5029.	251498	5084.	253311	5139.	255702	5194.	258145
4975.	249101	5030.	251502	5085.	253314	5140.	255844	5195.	258172
4976.	249184	5031.	251519	5086.	253354	5141.	255846	5196.	258181
4977.	249186	5032.	251566	5087.	253412	5142.	255855	5197.	258311
4978.	249264	5033.	251572	5088.	253435	5143.	255898	5198.	258320
4979.	249294	5034.	251582	5089.	253474	5144.	255916	5199.	258321
4980.	249367	5035.	251762	5090.	253548	5145.	255919	5200.	258402
4981.	249372	5036.	251859	5091.	253713	5146.	255928	5201.	258437
4982.	249530	5037.	251862	5092.	253808	5147.	255957	5202.	258453
4983.	249548	5038.	251877	5093.	253826	5148.	255960	5203.	258631
4984.	249565	5039.	251888	5094.	253850	5149.	256020	5204.	258665
4985.	249594	5040.	251899	5095.	253961	5150.	256138	5205.	258706
4986.	249604	5041.	251931	5096.	253975	5151.	256164	5206.	258774
4987.	249634	5042.	252030	5097.	254018	5152.	256184	5207.	258874
4988.	249840	5043.	252044	5098.	254067	5153.	256238	5208.	258943
4989.	249852	5044.	252109	5099.	254071	5154.	256252	5209.	258947
4990.	249928	5045.	252120	5100.	254090	5155.	256312	5210.	258993
4991.	249930	5046.	252155	5101.	254248	5156.	256321	5211.	259015
4992.	250053	5047.	252173	5102.	254282	5157.	256412	5212.	259144
4993.	250075	5048.	252178	5103.	254319	5158.	256499	5213.	259172
4994.	250088	5049.	252213	5104.	254327	5159.	256586	5214.	259233
4995.	250099	5050.	252236	5105.	254354	5160.	256608	5215.	259241
4996.	250170	5051.	252267	5106.	254391	5161.	256622	5216.	259256
4997.	250242	5052.	252316	5107.	254415	5162.	256658	5217.	259284
4998.	250250	5053.	252333	5108.	254432	5163.	256755	5218.	259321
4999.	250251	5054.	252354	5109.	254453	5164.	256924	5219.	259334
5000.	250269	5055.	252381	5110.	254516	5165.	257094	5220.	259341
5001.	250341	5056.	252480	5111.	254578	5166.	257121	5221.	259382
5002.	250343	5057.	252485	5112.	254596	5167.	257152	5222.	259386
5003.	250380	5058.	252491	5113.	254633	5168.	257189	5223.	259399
5004.	250541	5059.	252505	5114.	254732	5169.	257316	5224.	259439
5005.	250564	5060.	252545	5115.	254734	5170.	257330	5225.	259611
5006.	250589	5061.	252591	5116.	254754	5171.	257402	5226.	259619
5007.	250596	5062.	252592	5117.	254765	5172.	257413	5227.	259624
5008.	250599	5063.	252629	5118.	254797	5173.	257423	5228.	259664
5009.	250606	5064.	252692	5119.	254852	5174.	257435	5229.	259762
5010.	250608	5065.	252715	5120.	254895	5175.	257459	5230.	259839
5011.	250679	5066.	252737	5121.	254925	5176.	257475	5231.	259870
5012.	250694	5067.	252792	5122.	254931	5177.	257476	5232.	259914
5013.	250750	5068.	252799	5123.	254932	5178.	257508	5233.	259938
5014.	250818	5069.	252801	5124.	254946	5179.	257522	5234.	259986
5015.	250887	5070.	252909	5125.	255144	5180.	257561	5235.	260010
5016.	250932	5071.	252994	5126.	255210	5181.	257601	5236.	260151



S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
5237.	260255	5292.	261991	5347.	264226	5402.	266760	5457.	268628
5238.	260273	5293.	262063	5348.	264379	5403.	266770	5458.	268661
5239.	260343	5294.	262068	5349.	264647	5404.	266772	5459.	268687
5240.	260408	5295.	262186	5350.	264703	5405.	266800	5460.	268726
5241.	260457	5296.	262235	5351.	264727	5406.	266838	5461.	268820
5242.	260466	5297.	262274	5352.	264734	5407.	266841	5462.	268825
5243.	260528	5298.	262278	5353.	264743	5408.	266851	5463.	268891
5244.	260550	5299.	262282	5354.	264749	5409.	266866	5464.	268899
5245.	260554	5300.	262321	5355.	264766	5410.	266909	5465.	268938
5246.	260577	5301.	262341	5356.	264788	5411.	266946	5466.	268958
5247.	260607	5302.	262346	5357.	264930	5412.	266960	5467.	268962
5248.	260637	5303.	262388	5358.	264946	5413.	266979	5468.	268970
5249.	260706	5304.	262394	5359.	265006	5414.	267069	5469.	269056
5250.	260724	5305.	262457	5360.	265010	5415.	267074	5470.	269075
5251.	260727	5306.	262496	5361.	265020	5416.	267083	5471.	269119
5252.	260731	5307.	262579	5362.	265027	5417.	267130	5472.	269127
5253.	260734	5308.	262612	5363.	265086	5418.	267136	5473.	269175
5254.	260739	5309.	262663	5364.	265122	5419.	267142	5474.	269221
5255.	260752	5310.	262721	5365.	265130	5420.	267181	5475.	269402
5256.	260773	5311.	262733	5366.	265135	5421.	267208	5476.	269421
5257.	260842	5312.	262862	5367.	265208	5422.	267252	5477.	269464
5258.	260892	5313.	262916	5368.	265342	5423.	267402	5478.	269520
5259.	260937	5314.	262942	5369.	265346	5424.	267415	5479.	269596
5260.	260964	5315.	263024	5370.	265351	5425.	267580	5480.	269607
5261.	260987	5316.	263069	5371.	265393	5426.	267608	5481.	269656
5262.	261041	5317.	263074	5372.	265464	5427.	267622	5482.	269673
5263.	261054	5318.	263091	5373.	265469	5428.	267635	5483.	269703
5264.	261061	5319.	263098	5374.	265528	5429.	267726	5484.	269704
5265.	261071	5320.	263105	5375.	265543	5430.	267734	5485.	269718
5266.	261141	5321.	263158	5376.	265588	5431.	267757	5486.	269754
5267.	261157	5322.	263193	5377.	265621	5432.	267805	5487.	269771
5268.	261184	5323.	263204	5378.	265721	5433.	267819	5488.	269865
5269.	261189	5324.	263254	5379.	265748	5434.	267845	5489.	269934
5270.	261219	5325.	263318	5380.	265785	5435.	267856	5490.	269939
5271.	261240	5326.	263320	5381.	265834	5436.	267896	5491.	269948
5272.	261254	5327.	263349	5382.	265835	5437.	267936	5492.	269977
5273.	261316	5328.	263389	5383.	265904	5438.	268085	5493.	270007
5274.	261327	5329.	263413	5384.	265958	5439.	268088	5494.	270097
5275.	261344	5330.	263424	5385.	266002	5440.	268197	5495.	270177
5276.	261404	5331.	263477	5386.	266095	5441.	268211	5496.	270245
5277.	261486	5332.	263656	5387.	266119	5442.	268244	5497.	270261
5278.	261525	5333.	263696	5388.	266130	5443.	268246	5498.	270312
5279.	261623	5334.	263699	5389.	266136	5444.	268279	5499.	270368
5280.	261631	5335.	263726	5390.	266270	5445.	268297	5500.	270370
5281.	261703	5336.	263778	5391.	266358	5446.	268313	5501.	270381
5282.	261707	5337.	263812	5392.	266390	5447.	268356	5502.	270470
5283.	261743	5338.	263830	5393.	266414	5448.	268364	5503.	270527
5284.	261784	5339.	263945	5394.	266558	5449.	268367	5504.	270529
5285.	261818	5340.	263972	5395.	266570	5450.	268384	5505.	270687
5286.	261827	5341.	263974	5396.	266580	5451.	268434	5506.	270707
5287.	261836	5342.	263987	5397.	266648	5452.	268502	5507.	270722
5288.	261847	5343.	264059	5398.	266655	5453.	268517	5508.	270730
5289.	261904	5344.	264080	5399.	266720	5454.	268536	5509.	270743
5290.	261927	5345.	264211	5400.	266722	5455.	268612	5510.	270775
5291.	261956	5346.	264219	5401.	266748	5456.	268622	5511.	271006

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
5512.	271055	5567.	273408	5622.	276029	5677.	278153	5732.	281077
5513.	271063	5568.	273449	5623.	276044	5678.	278208	5733.	281102
5514.	271099	5569.	273509	5624.	276086	5679.	278229	5734.	281171
5515.	271139	5570.	273701	5625.	276098	5680.	278238	5735.	281218
5516.	271225	5571.	273706	5626.	276151	5681.	278286	5736.	281380
5517.	271227	5572.	273744	5627.	276157	5682.	278288	5737.	281382
5518.	271303	5573.	273770	5628.	276174	5683.	278293	5738.	281392
5519.	271311	5574.	273777	5629.	276227	5684.	278344	5739.	281400
5520.	271435	5575.	273856	5630.	276259	5685.	278394	5740.	281420
5521.	271478	5576.	273868	5631.	276370	5686.	278426	5741.	281499
5522.	271520	5577.	273993	5632.	276414	5687.	278458	5742.	281514
5523.	271531	5578.	273998	5633.	276536	5688.	278478	5743.	281548
5524.	271620	5579.	274036	5634.	276554	5689.	278501	5744.	281568
5525.	271627	5580.	274109	5635.	276570	5690.	278696	5745.	281632
5526.	271734	5581.	274116	5636.	276594	5691.	278710	5746.	281702
5527.	271833	5582.	274148	5637.	276696	5692.	278770	5747.	281716
5528.	271886	5583.	274221	5638.	276725	5693.	278793	5748.	281719
5529.	271916	5584.	274258	5639.	276823	5694.	278843	5749.	281781
5530.	271919	5585.	274295	5640.	276833	5695.	278864	5750.	281814
5531.	271920	5586.	274369	5641.	276846	5696.	278870	5751.	281842
5532.	271940	5587.	274399	5642.	276886	5697.	278961	5752.	281847
5533.	272108	5588.	274470	5643.	276906	5698.	279017	5753.	281895
5534.	272137	5589.	274472	5644.	276949	5699.	279230	5754.	281921
5535.	272252	5590.	274475	5645.	276980	5700.	279276	5755.	281956
5536.	272254	5591.	274511	5646.	276995	5701.	279285	5756.	281978
5537.	272257	5592.	274569	5647.	277001	5702.	279293	5757.	281997
5538.	272468	5593.	274573	5648.	277003	5703.	279368	5758.	282013
5539.	272470	5594.	274586	5649.	277016	5704.	279497	5759.	282029
5540.	272482	5595.	274664	5650.	277040	5705.	279517	5760.	282064
5541.	272504	5596.	274731	5651.	277062	5706.	279690	5761.	282066
5542.	272509	5597.	274740	5652.	277136	5707.	279864	5762.	282079
5543.	272538	5598.	274793	5653.	277188	5708.	279891	5763.	282098
5544.	272551	5599.	274797	5654.	277263	5709.	279992	5764.	282109
5545.	272571	5600.	274828	5655.	277273	5710.	280006	5765.	282161
5546.	272638	5601.	274838	5656.	277375	5711.	280038	5766.	282165
5547.	272683	5602.	274858	5657.	277417	5712.	280063	5767.	282305
5548.	272753	5603.	274921	5658.	277500	5713.	280089	5768.	282307
5549.	272772	5604.	275032	5659.	277503	5714.	280124	5769.	282315
5550.	272773	5605.	275076	5660.	277513	5715.	280186	5770.	282391
5551.	272791	5606.	275102	5661.	277553	5716.	280239	5771.	282406
5552.	272981	5607.	275145	5662.	277602	5717.	280305	5772.	282442
5553.	272993	5608.	275202	5663.	277623	5718.	280312	5773.	282447
5554.	272996	5609.	275234	5664.	277644	5719.	280365	5774.	282466
5555.	273000	5610.	275257	5665.	277679	5720.	280520	5775.	282506
5556.	273056	5611.	275274	5666.	277757	5721.	280608	5776.	282521
5557.	273058	5612.	275312	5667.	277881	5722.	280638	5777.	282540
5558.	273102	5613.	275453	5668.	277885	5723.	280656	5778.	282569
5559.	273120	5614.	275502	5669.	277939	5724.	280744	5779.	282678
5560.	273241	5615.	275510	5670.	277978	5725.	280747	5780.	282683
5561.	273263	5616.	275668	5671.	278019	5726.	280909	5781.	282751
5562.	273264	5617.	275704	5672.	278031	5727.	280954	5782.	282784
5563.	273302	5618.	275724	5673.	278074	5728.	280983	5783.	282895
5564.	273312	5619.	275854	5674.	278077	5729.	280989	5784.	282925
5565.	273356	5620.	275910	5675.	278080	5730.	281055	5785.	282929
5566.	273380	5621.	275921	5676.	278146	5731.	281071	5786.	282976

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
5787.	283022	5842.	285229	5897.	288661	5952.	291102	6007.	292519
5788.	283095	5843.	285532	5898.	288665	5953.	291109	6008.	292534
5789.	283114	5844.	285560	5899.	288769	5954.	291141	6009.	292544
5790.	283115	5845.	285591	5900.	288780	5955.	291147	6010.	292564
5791.	283164	5846.	285659	5901.	288783	5956.	291153	6011.	292593
5792.	283170	5847.	285747	5902.	288845	5957.	291165	6012.	292653
5793.	283247	5848.	285870	5903.	288855	5958.	291179	6013.	292718
5794.	283313	5849.	285928	5904.	288886	5959.	291192	6014.	292778
5795.	283390	5850.	285972	5905.	288969	5960.	291203	6015.	292875
5796.	283424	5851.	285977	5906.	289076	5961.	291217	6016.	292896
5797.	283426	5852.	286053	5907.	289086	5962.	291279	6017.	292897
5798.	283464	5853.	286070	5908.	289206	5963.	291377	6018.	292960
5799.	283481	5854.	286075	5909.	289310	5964.	291384	6019.	292991
5800.	283482	5855.	286094	5910.	289311	5965.	291412	6020.	293011
5801.	283496	5856.	286095	5911.	289359	5966.	291463	6021.	293048
5802.	283520	5857.	286137	5912.	289367	5967.	291498	6022.	293053
5803.	283526	5858.	286154	5913.	289490	5968.	291500	6023.	293118
5804.	283574	5859.	286235	5914.	289530	5969.	291515	6024.	293264
5805.	283601	5860.	286269	5915.	289548	5970.	291525	6025.	293283
5806.	283644	5861.	286311	5916.	289599	5971.	291547	6026.	293326
5807.	283654	5862.	286322	5917.	289660	5972.	291548	6027.	293385
5808.	283708	5863.	286486	5918.	289730	5973.	291622	6028.	293428
5809.	283777	5864.	286718	5919.	289732	5974.	291656	6029.	293446
5810.	283798	5865.	286829	5920.	289836	5975.	291673	6030.	293546
5811.	283829	5866.	286852	5921.	289850	5976.	291679	6031.	293552
5812.	283840	5867.	286854	5922.	289934	5977.	291684	6032.	293555
5813.	283911	5868.	286907	5923.	289947	5978.	291710	6033.	293558
5814.	283933	5869.	286999	5924.	289980	5979.	291766	6034.	293684
5815.	283943	5870.	287028	5925.	290048	5980.	291815	6035.	293724
5816.	283955	5871.	287123	5926.	290049	5981.	291821	6036.	293822
5817.	283972	5872.	287256	5927.	290060	5982.	291842	6037.	293912
5818.	283973	5873.	287355	5928.	290075	5983.	291894	6038.	293959
5819.	283987	5874.	287397	5929.	290107	5984.	291896	6039.	293964
5820.	284001	5875.	287477	5930.	290132	5985.	291952	6040.	293974
5821.	284023	5876.	287501	5931.	290180	5986.	291996	6041.	293996
5822.	284027	5877.	287555	5932.	290185	5987.	292013	6042.	294076
5823.	284073	5878.	287625	5933.	290194	5988.	292021	6043.	294105
5824.	284095	5879.	287712	5934.	290313	5989.	292070	6044.	294150
5825.	284101	5880.	287805	5935.	290336	5990.	292078	6045.	294177
5826.	284265	5881.	287851	5936.	290343	5991.	292081	6046.	294216
5827.	284375	5882.	287883	5937.	290369	5992.	292105	6047.	294273
5828.	284376	5883.	287917	5938.	290389	5993.	292106	6048.	294328
5829.	284418	5884.	287932	5939.	290447	5994.	292110	6049.	294334
5830.	284579	5885.	287982	5940.	290550	5995.	292159	6050.	294389
5831.	284580	5886.	288014	5941.	290625	5996.	292173	6051.	294395
5832.	284652	5887.	288116	5942.	290663	5997.	292196	6052.	294420
5833.	284699	5888.	288146	5943.	290698	5998.	292212	6053.	294462
5834.	284730	5889.	288179	5944.	290742	5999.	292220	6054.	294471
5835.	284734	5890.	288180	5945.	290757	6000.	292297	6055.	294498
5836.	284889	5891.	288190	5946.	290831	6001.	292323	6056.	294532
5837.	285015	5892.	288266	5947.	290852	6002.	292358	6057.	294588
5838.	285069	5893.	288291	5948.	290909	6003.	292425	6058.	294615
5839.	285070	5894.	288329	5949.	291032	6004.	292434	6059.	294651
5840.	285217	5895.	288436	5950.	291060	6005.	292447	6060.	294741
5841.	285223	5896.	288521	5951.	291078	6006.	292504	6061.	294748

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
6062.	294788	6117.	297425	6172.	300048	6227.	302675	6281.	305402
6063.	294793	6118.	297466	6173.	300066	6228.	302690	6282.	305428
6064.	294795	6119.	297496	6174.	300146	6229.	302892	6283.	305450
6065.	294803	6120.	297685	6175.	300147	6230.	302920	6284.	305483
6066.	294806	6121.	297780	6176.	300189	6231.	302963	6285.	305512
6067.	294965	6122.	297803	6177.	300194	6232.	303169	6286.	305545
6068.	295024	6123.	297856	6178.	300252	6233.	303171	6287.	305611
6069.	295103	6124.	297870	6179.	300454	6234.	303211	6288.	305682
6070.	295136	6125.	297935	6180.	300533	6235.	303274	6289.	305685
6071.	295232	6126.	298070	6181.	300543	6236.	303463	6290.	305720
6072.	295261	6127.	298078	6182.	300548	6237.	303584	6291.	305725
6073.	295292	6128.	298145	6183.	300722	6238.	303650	6292.	305744
6074.	295316	6129.	298172	6184.	300762	6239.	303711	6293.	305810
6075.	295364	6130.	298195	6185.	300769	6240.	303729	6294.	305852
6076.	295370	6131.	298232	6186.	300809	6241.	303768	6295.	305899
6077.	295382	6132.	298336	6187.	300827	6242.	303821	6296.	305912
6078.	295480	6133.	298373	6188.	300838	6243.	303843	6297.	305915
6079.	295574	6134.	298451	6189.	300906	6244.	303915	6298.	305954
6080.	295583	6135.	298457	6190.	301018	6245.	303982	6299.	305968
6081.	295589	6136.	298463	6191.	301075	6246.	304052	6300.	305972
6082.	295672	6137.	298485	6192.	301079	6247.	304054	6301.	305974
6083.	295744	6138.	298548	6193.	301102	6248.	304076	6302.	305989
6084.	295809	6139.	298572	6194.	301159	6249.	304113	6303.	306044
6085.	295814	6140.	298664	6195.	301168	6250.	304134	6304.	306070
6086.	295848	6141.	298684	6196.	301191	6251.	304135	6305.	306089
6087.	295876	6142.	298696	6197.	301197	6252.	304143	6306.	306110
6088.	295972	6143.	298724	6198.	301253	6253.	304147	6307.	306121
6089.	296031	6144.	298760	6199.	301361	6254.	304160	6308.	306166
6090.	296210	6145.	298790	6200.	301386	6255.	304171	6309.	306265
6091.	296218	6146.	298791	6201.	301409	6256.	304204	6310.	306267
6092.	296249	6147.	298819	6202.	301573	6257.	304281	6311.	306291
6093.	296358	6148.	298826	6203.	301625	6258.	304300	6312.	306302
6094.	296395	6149.	298830	6204.	301655	6259.	304306	6313.	306352
6095.	296399	6150.	298887	6205.	301695	6260.	304336	6314.	306387
6096.	296402	6151.	298992	6206.	301712	6261.	304537	6315.	306412
6097.	296414	6152.	299063	6207.	301734	6262.	304558	6316.	306425
6098.	296436	6153.	299110	6208.	301735	6263.	304562	6317.	306428
6099.	296438	6154.	299162	6209.	301864	6264.	304586	6318.	306435
6100.	296508	6155.	299185	6210.	301936	6265.	304610	6319.	306492
6101.	296522	6156.	299220	6211.	301965	6266.	304648	6320.	306502
6102.	296538	6157.	299241	6212.	301999	6267.	304829	6321.	306575
6103.	296595	6158.	299314	6213.	302006	6268.	304880	6322.	306634
6104.	296718	6159.	299352	6214.	302055	6269.	304929	6323.	306660
6105.	296828	6160.	299365	6215.	302085	6270.	304988	6324.	306672
6106.	296831	6161.	299391	6216.	302138	6271.	305082	6325.	306734
6107.	296869	6162.	299461	6217.	302185	6272.	305091	6326.	306739
6108.	296904	6163.	299479	6218.	302197	6273.	305118	6327.	306771
6109.	297012	6164.	299530	6219.	302241	6274.	305128	6328.	306796
6110.	297112	6165.	299617	6220.	302301	6275.	305143	6329.	306802
6111.	297124	6166.	299727	6221.	302353	6276.	305191	6330.	306818
6112.	297181	6167.	299748	6222.	302357	6277.	305197	6331.	306860
6113.	297183	6168.	299753	6223.	302402	6278.	305211	6332.	306880
6114.	297185	6169.	299765	6224.	302584	6279.	305304	6333.	306895
6115.	297328	6170.	299799	6225.	302603	6280.	305310	6334.	306959
6116.	297413	6171.	299928	6226.	302659				

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
6335.	306961	6389.	309042	6444.	314449	6499.	317386	6554.	319459
6336.	306968	6390.	309061	6445.	314461	6500.	317451	6555.	319472
6337.	307031	6391.	309124	6446.	314554	6501.	317494	6556.	319476
6338.	307056	6392.	309128	6447.	314593	6502.	317503	6557.	319491
6339.	307101	6393.	309161	6448.	314643	6503.	317645	6558.	319498
6340.	307136	6394.	309331	6449.	314665	6504.	317646	6559.	319518
6341.	307142	6395.	309334	6450.	314840	6505.	317674	6560.	319521
6342.	307159	6396.	309453	6451.	314882	6506.	317729	6561.	319557
6343.	307168	6397.	309512	6452.	314897	6507.	317745	6562.	319566
6344.	307199	6398.	309594	6453.	314958	6508.	317763	6563.	319577
6345.	307217	6399.	309733	6454.	314978	6509.	317805	6564.	319606
6346.	307249	6400.	309752	6455.	314999	6510.	317835	6565.	319634
6347.	307255	6401.	309820	6456.	315149	6511.	317849	6566.	319690
6348.	307274	6402.	309832	6457.	315162	6512.	317881	6567.	319702
6349.	307277	6403.	309856	6458.	315177	6513.	317890	6568.	319703
6350.	307278	6404.	309859	6459.	315200	6514.	317939	6569.	319747
6351.	307316	6405.	309899	6460.	315223	6515.	317978	6570.	319760
6352.	307327	6406.	309933	6461.	315254	6516.	318016	6571.	319813
6353.	307352	6407.	310044	6462.	315273	6517.	318129	6572.	319866
6354.	307459	6408.	310365	6463.	315304	6518.	318173	6573.	319895
6355.	307460	6409.	310371	6464.	315377	6519.	318206	6574.	320028
6356.	307480	6410.	310376	6465.	315385	6520.	318241	6575.	320064
6357.	307481	6411.	310384	6466.	315387	6521.	318243	6576.	320090
6358.	307494	6412.	310491	6467.	315452	6522.	318277	6577.	320112
6359.	307535	6413.	310532	6468.	315472	6523.	318285	6578.	320120
6360.	307586	6414.	310648	6469.	315509	6524.	318370	6579.	320129
6361.	307606	6415.	310755	6470.	315581	6525.	318371	6580.	320181
6362.	307610	6416.	311025	6471.	315680	6526.	318428	6581.	320198
6363.	307644	6417.	311076	6472.	315688	6527.	318468	6582.	320235
6364.	307667	6418.	311086	6473.	315691	6528.	318477	6583.	320251
6365.	307681	6419.	311112	6474.	315719	6529.	318562	6584.	320260
6366.	307689	6420.	311117	6475.	315732	6530.	318644	6585.	320312
6367.	307721	6421.	311534	6476.	315768	6531.	318646	6586.	320316
6368.	307723	6422.	311536	6477.	315900	6532.	318727	6587.	320349
6369.	307759	6423.	311542	6478.	315944	6533.	318938	6588.	320378
6370.	307895	6424.	311585	6479.	316015	6534.	319030	6589.	320434
6371.	307942	6425.	311753	6480.	316089	6535.	319032	6590.	320440
6372.	308031	6426.	311796	6481.	316102	6536.	319044	6591.	320515
6373.	308040	6427.	311829	6482.	316122	6537.	319046	6592.	320539
6374.	308105	6428.	312109	6483.	316130	6538.	319047	6593.	320587
6375.	308137	6429.	312190	6484.	316161	6539.	319058	6594.	320626
6376.	308153	6430.	312365	6485.	316388	6540.	319117	6595.	320664
6377.	308193	6431.	312433	6486.	316422	6541.	319127	6596.	320700
6378.	308208	6432.	312754	6487.	316470	6542.	319146	6597.	320719
6379.	308332	6433.	312823	6488.	316509	6543.	319147	6598.	320772
6380.	308450	6434.	312825	6489.	316539	6544.	319181	6599.	320833
6381.	308504	6435.	312981	6490.	316633	6545.	319209	6600.	320835
6382.	308514	6436.	313074	6491.	316763	6546.	319262	6601.	320902
6383.	308595	6437.	313540	6492.	316794	6547.	319275	6602.	321033
6384.	308605	6438.	313625	6493.	316849	6548.	319279	6603.	321045
6385.	308643	6439.	313635	6494.	316947	6549.	319299	6604.	321051
6386.	308660	6440.	313834	6495.	317001	6550.	319329	6605.	321074
6387.	308826	6441.	313863	6496.	317058	6551.	319360	6606.	321165
6388.	308912	6442.	313999	6497.	317120	6552.	319416	6607.	321191
		6443.	314195	6498.	317354	6553.	319451	6608.	321234

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
6609.	321278	6664.	323057	6719.	325487	6774.	328291	6829.	331164
6610.	321282	6665.	323138	6720.	325524	6775.	328307	6830.	331234
6611.	321365	6666.	323189	6721.	325545	6776.	328390	6831.	331253
6612.	321477	6667.	323191	6722.	325621	6777.	328425	6832.	331308
6613.	321486	6668.	323198	6723.	325692	6778.	328537	6833.	331411
6614.	321494	6669.	323211	6724.	325705	6779.	328604	6834.	331440
6615.	321518	6670.	323285	6725.	325772	6780.	328606	6835.	331552
6616.	321528	6671.	323295	6726.	325788	6781.	328645	6836.	331560
6617.	321577	6672.	323319	6727.	325973	6782.	328658	6837.	331563
6618.	321630	6673.	323361	6728.	326012	6783.	328705	6838.	331580
6619.	321631	6674.	323430	6729.	326074	6784.	328716	6839.	331611
6620.	321659	6675.	323455	6730.	326128	6785.	328780	6840.	331614
6621.	321693	6676.	323534	6731.	326235	6786.	328887	6841.	331617
6622.	321724	6677.	323563	6732.	326293	6787.	328890	6842.	331631
6623.	321757	6678.	323564	6733.	326303	6788.	328917	6843.	331674
6624.	321776	6679.	323799	6734.	326356	6789.	328937	6844.	331771
6625.	321810	6680.	323812	6735.	326388	6790.	328940	6845.	331837
6626.	321862	6681.	323909	6736.	326433	6791.	328944	6846.	331855
6627.	321876	6682.	323913	6737.	326452	6792.	329000	6847.	331875
6628.	321882	6683.	323943	6738.	326482	6793.	329072	6848.	331956
6629.	321899	6684.	324078	6739.	326495	6794.	329082	6849.	332048
6630.	321923	6685.	324150	6740.	326518	6795.	329139	6850.	332105
6631.	321978	6686.	324168	6741.	326587	6796.	329142	6851.	332138
6632.	322040	6687.	324229	6742.	326757	6797.	329169	6852.	332339
6633.	322191	6688.	324265	6743.	326780	6798.	329179	6853.	332341
6634.	322268	6689.	324307	6744.	326806	6799.	329198	6854.	332364
6635.	322292	6690.	324332	6745.	326833	6800.	329415	6855.	332373
6636.	322304	6691.	324349	6746.	326867	6801.	329524	6856.	332471
6637.	322312	6692.	324366	6747.	326877	6802.	329602	6857.	332516
6638.	322338	6693.	324379	6748.	326884	6803.	329633	6858.	332539
6639.	322344	6694.	324393	6749.	326918	6804.	329712	6859.	332540
6640.	322363	6695.	324401	6750.	326958	6805.	329735	6860.	332582
6641.	322381	6696.	324458	6751.	326967	6806.	329758	6861.	332641
6642.	322386	6697.	324464	6752.	326981	6807.	329817	6862.	332827
6643.	322392	6698.	324579	6753.	327007	6808.	329993	6863.	332874
6644.	322402	6699.	324608	6754.	327055	6809.	330026	6864.	332919
6645.	322428	6700.	324629	6755.	327112	6810.	330057	6865.	332922
6646.	322542	6701.	324659	6756.	327152	6811.	330165	6866.	332930
6647.	322572	6702.	324679	6757.	327164	6812.	330223	6867.	332960
6648.	322598	6703.	324750	6758.	327230	6813.	330293	6868.	332969
6649.	322611	6704.	324833	6759.	327323	6814.	330338	6869.	332981
6650.	322646	6705.	324875	6760.	327368	6815.	330431	6870.	332983
6651.	322675	6706.	324880	6761.	327405	6816.	330502	6871.	332994
6652.	322678	6707.	324883	6762.	327481	6817.	330605	6872.	333066
6653.	322708	6708.	324902	6763.	327561	6818.	330661	6873.	333115
6654.	322805	6709.	324973	6764.	327576	6819.	330668	6874.	333172
6655.	322817	6710.	324996	6765.	327581	6820.	330758	6875.	333219
6656.	322819	6711.	325007	6766.	327724	6821.	330885	6876.	333222
6657.	322866	6712.	325014	6767.	327812	6822.	330921	6877.	333252
6658.	322873	6713.	325095	6768.	327863	6823.	330957	6878.	333256
6659.	322883	6714.	325208	6769.	327894	6824.	330959	6879.	333303
6660.	322950	6715.	325220	6770.	327958	6825.	331007	6880.	333374
6661.	322974	6716.	325237	6771.	327991	6826.	331079	6881.	333389
6662.	323042	6717.	325278	6772.	328008	6827.	331086	6882.	333458
6663.	323044	6718.	325373	6773.	328160	6828.	331133	6883.	333462

S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.	S.No.	ROLL No.
6884.	333651	6927.	335684	6970.	337499	7013.	340149	7056.	342321
6885.	333721	6928.	335695	6971.	337669	7014.	340177	7057.	342389
6886.	333726	6929.	335738	6972.	337820	7015.	340300	7058.	342432
6887.	333782	6930.	335740	6973.	337917	7016.	340312	7059.	342572
6888.	333796	6931.	335744	6974.	338148	7017.	340319	7060.	342607
6889.	333824	6932.	335745	6975.	338177	7018.	340343	7061.	342624
6890.	334096	6933.	335758	6976.	338203	7019.	340593	7062.	342822
6891.	334102	6934.	335847	6977.	338216	7020.	340606	7063.	342832
6892.	334162	6935.	335870	6978.	338341	7021.	340740	7064.	342906
6893.	334216	6936.	335888	6979.	338389	7022.	340753	7065.	342971
6894.	334218	6937.	335926	6980.	338420	7023.	340768	7066.	343095
6895.	334248	6938.	335949	6981.	338480	7024.	340787	7067.	343173
6896.	334278	6939.	335964	6982.	338483	7025.	340835	7068.	343261
6897.	334297	6940.	336009	6983.	338489	7026.	340869	7069.	343349
6898.	334328	6941.	336061	6984.	338538	7027.	340883	7070.	343397
6899.	334358	6942.	336073	6985.	338543	7028.	340887	7071.	343480
6900.	334414	6943.	336095	6986.	338568	7029.	340973	7072.	343486
6901.	334442	6944.	336129	6987.	338909	7030.	340996	7073.	343578
6902.	334462	6945.	336147	6988.	338926	7031.	341101	7074.	343599
6903.	334505	6946.	336218	6989.	338934	7032.	341242	7075.	343642
6904.	334520	6947.	336315	6990.	338956	7033.	341322	7076.	343693
6905.	334528	6948.	336385	6991.	338992	7034.	341356	7077.	343924
6906.	334532	6949.	336451	6992.	339034	7035.	341366	7078.	344004
6907.	334587	6950.	336473	6993.	339057	7036.	341371	7079.	344013
6908.	334820	6951.	336493	6994.	339060	7037.	341413	7080.	344121
6909.	334887	6952.	336503	6995.	339072	7038.	341435	7081.	344321
6910.	334901	6953.	336515	6996.	339105	7039.	341542	7082.	344347
6911.	334910	6954.	336604	6997.	339168	7040.	341698	7083.	344429
6912.	334966	6955.	336615	6998.	339279	7041.	341736	7084.	344497
6913.	334981	6956.	336661	6999.	339362	7042.	341793	7085.	344754
6914.	335036	6957.	336667	7000.	339489	7043.	341807	7086.	344839
6915.	335055	6958.	336691	7001.	339540	7044.	341829	7087.	345416
6916.	335124	6959.	336811	7002.	339591	7045.	341852	7088.	345419
6917.	335170	6960.	336862	7003.	339605	7046.	341855	7089.	345535
6918.	335185	6961.	336975	7004.	339634	7047.	341937	7090.	345562
6919.	335271	6962.	336976	7005.	339767	7048.	341992	7091.	345637
6920.	335277	6963.	337057	7006.	339789	7049.	342041	7092.	345638
6921.	335316	6964.	337095	7007.	339818	7050.	342090		
6922.	335359	6965.	337105	7008.	339888	7051.	342124		
6923.	335368	6966.	337129	7009.	339942	7052.	342189		
6924.	335447	6967.	337266	7010.	340005	7053.	342221		
6925.	335579	6968.	337311	7011.	340014	7054.	342305		
6926.	335672	6969.	337350	7012.	340041	7055.	342312		

## टीप:—

1. सूची में दर्शाये गये परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है, यदि प्रत्याशी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2015 के लिये अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी.
2. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2015 में अर्ह आवेदकों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015 की लिखित परीक्षा दिनांक 12-04-2016 से होगी. इस हेतु अर्ह आवेदक आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.in](http://www.mppsc.in) पर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे.
3. अर्ह आवेदक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015 में बैठने हेतु आवेदन-पत्र एम. पी. ऑनलाईन से दिनांक 08 मार्च, 2016 से 20 मार्च, 2016 तक भर सकेंगे. इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर जारी कर दी जायेगी.
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.

5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जायेगी.
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
8. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2015 लिखित परीक्षा के समय प्रवेश-पत्र के साथ आवेदक अपना मूल पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएंगे. इसकी प्रतिदिन जाँच की जाएगी.
9. प्रथम प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न विलोपित करने के पश्चात् 95 प्रश्नों के कुल 190 अंकों के प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम सूची तैयार की गई है.

दिनेश जैन,  
परीक्षा नियंत्रक.

(246-A)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

#### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच

##### प्रारूप-चार

[ नियम-5(1)देखिए ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए ]

चूंकि श्री के. अब्राहम पिता स्व. श्री कोशी, निवासी-417/1, मनासा रोड (हाऊस ऑफ पाम्प के पास) राधास्वामी सत्संग के सामने नीमच द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 मार्च, 2016 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अतः मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास नीमच, मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 मार्च, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अधिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

#### अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता : "जायन (ZION) सोशियल एवं वेलफेयर ट्रस्ट"  
निवासी-417/1, मनासा रोड, (हाऊस ऑफ पाम्प के पास)  
राधास्वामी सत्संग के सामने, नीमच.

लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण .—

1. अचल सम्पत्ति : निरंक
2. चल सम्पत्ति : रु. 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र).

(247)

आदित्य शर्मा,  
अनुविभागीय अधिकारी.



**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन**

प्र.क्र.01/बी-113(1)/2015-16.

**फार्म-4**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5(2) एवं  
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम-5(1) के अंतर्गत ]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन.

चूंकि प्रार्थी श्री मुईजुद्दीन शाह पिता श्री हुस्नुद्दीन शाह, निवासी-पठानवाडी खरगौन द्वारा "जामिया नेशनल ह्यूमन एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट" के नाम से खरगौन में ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिध के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहे. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1	2	3	4	5
1	नगद	-	-	10,000-00 रुपये.
2	अचल सम्पत्ति	-	-	-

(248) **महेन्द्रसिंह कवचे,**  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, गोहलपुर, जबलपुर**

जारी, दिनांक 03 मार्च, 2016

रा. प्र. क्र. 01/बी-113/4/2015-16.

**प्रारूप-4**

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

चूंकि श्री डॉ. रामकिनकर मिश्र द्वारा संस्कृत भारतीय महाकौशलम् न्यास, जबलपुर के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गयी सम्पत्ति न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयत हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को विचार के लिए नियम किया गया है. कोई भी व्यक्ति न्यास व सम्पत्ति में हित रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक 1 माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है. अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण लोक न्यास का नाम और पता)

- लोक न्यास का नाम : संस्कृत भारतीय महाकौशलम् न्यास  
डॉ. हेडगेवार भवन 1692 नव आदर्श कॉलोनी जबलपुर (म.प्र.).
- चल सम्पत्ति : दान दाताओं द्वारा प्रदान की गई राशि 5,000/- रुपये  
(जिसे) पंजीयन के उपरांत राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के खाते में जमा किया जायेगा.
- अचल सम्पत्ति : निल

(249)

**सुनील शुक्ला,**  
अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) परगना, जिला भिण्ड**

प्र.क्र. /15-16/बी-113.

भिण्ड, दिनांक 03 मार्च, 2016

**फार्म-4**

[ नियम (1) देखिये ]

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अंतर्गत ]

जैसा कि श्री राजेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्रीकृष्ण सोनी, निवासी-127/5, शिक्षा विभाग के सामने भिण्ड द्वारा श्री बालाजी मण्डल धर्म प्रचार एवं कल्याण समिति भिण्ड के नाम से पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र मय सहपत्रों के प्रस्तुत किया गया.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से या अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | श्री बालाजी मण्डल धर्म प्रचार एवं कल्याण समिति भिण्ड. |
| व पता            | : | कार्यालय 7/5, आशीर्वाद भवन, अग्रसेन रोड, भिण्ड.       |
| 2. चल सम्पत्ति   | : | रुपये 89,800-00 नगदी.                                 |
| 3. अचल सम्पत्ति  | : | निल.  |

**बी. बी. अग्निहोत्री,**

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(250)

**अन्य सूचनाएं****कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी**

शिवपुरी, दिनांक 08 मार्च, 2016

**संशोधित आदेश**

क्र./परि./2016/505.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/763, दिनांक 04 जून, 2014 द्वारा जय साख सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी संस्था का परिसमापक श्री व्ही. आर. डण्डौतिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को नियुक्त किया गया था. यह कि, उनका स्थानांतरण हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उनके स्थान पर श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232)

शिवपुरी, दिनांक 08 मार्च, 2016

**संशोधित आदेश**

क्र./परि./2016/508.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/764, दिनांक 04 जून, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, मर्या., लुकवासा संस्था का परिसमापक श्री व्ही. आर. डण्डौतिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री राकेश सिंह चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(233)

शिवपुरी, दिनांक 08 मार्च, 2016

**संशोधित आदेश**

क्र./परि./2016/509.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/2396, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा मण्डल शासकीय कर्मचारी उपभोक्ता

सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी संस्था का परिसमापक श्री व्ही. आर. डण्डौतिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री राकेश सिंह चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(233-A)

शिवपुरी, दिनांक 08 मार्च, 2016

### संशोधित आदेश

क्र./परि./2016/510.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/245, दिनांक 18 जनवरी, 2013 द्वारा राज्य कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी संस्था का परिसमापक श्री व्ही. आर. डण्डौतिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री राकेश सिंह चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(233-B)

शिवपुरी, दिनांक 08 मार्च, 2016

### संशोधित आदेश

क्र./परि./2016/511.—कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/2334, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी संस्था का परिसमापक श्री व्ही. आर. डण्डौतिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को नियुक्त किया गया था. यह कि उनका स्थानांतरण हो जाने से उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उनके स्थान पर श्री राकेश सिंह चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, शिवपुरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. सिंह,  
उप-पंजीयक.

(233-C)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

### प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र./दिनांक	विकास खण्ड	जारी सूचना पत्र क्र. व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सुखपुरी.	1275/31-01-2007	भगवानपुरा	82/18-01-2016	श्री बी. एस. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., धुलकोट.	1279/23-01-2007	भगवानपुरा	81/18-01-2016	श्री बी. एस. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.

1	2	3	4	5	6
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नयाबिलवा.	1310/15-01-2002	भगवानपुरा	80/18-01-2016	श्री बी. एस. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लोनारा.	1249/28-08-2000	खरगोन	79/18-01-2016	श्री बी. एस. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
5.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पिपलझोपा.	1463/21-10-2005	खरगोन	78/18-01-2016	श्री बी. एस. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., देवाडा.	1459/20-10-2005	खरगोन	77/18-01-2016	श्री बी. एस. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., थरडपुरा.	1262/21-10-2005	खरगोन	76/18-01-2016	श्री बी. एस. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., भगवानपुरा.	1272/23-01-2001	भगवानपुरा	75/18-01-2016	श्री बी. एस. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कदवाली.	1464/21-10-2005	भगवानपुरा	74/18-01-2016	श्री बी. एस. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लाखी.	1677/17-12-2012	खरगोन	102/20-01-2016	श्री बी. एस. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
11.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बन्हूर.	1458/21-10-2005	खरगोन	101/20-01-2016	श्री बी. एस. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
12.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., दामखेडा.	1278/23-01-2001	खरगोन	103/20-01-2016	श्री बी. एस. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
13.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., हतोला.	1255/27-03-2000	कसरावद	100/20-01-2016	श्री आर. आर. भट्ट, सह. विस्तार अधि.
14.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बोरावाँ.	759/13-07-1989	कसरावद	98/20-01-2016	श्री आर. आर. भट्ट, सह. विस्तार अधि.
15.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., काछीपुरा.	1436/11-08-2005	कसरावद	96/20-01-2016	श्री आर. आर. भट्ट, सह. विस्तार अधि.
16.	माँ भगवती दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खामखेडा.	1603/07-02-2011	गोगावाँ	99/20-01-2016	श्री मनोहर वास्केल, सह. विस्तार अधि.
17.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., महुमांडली.	1581/12-09-2009	गोगावाँ	97/20-01-2016	श्री मनोहर वास्केल, सह. विस्तार अधि.

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया .

(234)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

संस्था अध्यक्ष के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था पंजीयन दिनांक से वर्तमान तक बंद होकर अकार्यशील है. संस्था को किसी भी प्रकार का आवंटन नहीं हुआ है साथ ही सदस्यों द्वारा संस्था का संचालन करने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है एवं संस्था को बंद करने हेतु आवेदन दिया है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय गुरुदेव प्राथमिक सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर, पंजीयन क्रमांक/1628, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,  
उप-पंजीयक.

(234-A)

**कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना****कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवराभापतपुर,

(श्री राजीव सक्सेना, सहकारी निरीक्षक,

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, पन्ना)

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (दो) (7-क) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवराभापतपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./847, दिनांक 05 फरवरी, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, बुन्देलखण्ड स्ट्रोन क्रेसर सहकारी समिति मर्या., तिदुनहाई,

(श्री आर. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक,

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, पन्ना)

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (दो) (7-क) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः बुन्देलखण्ड स्ट्रोन क्रेसर सहकारी समिति मर्या., तिदुनहाई, तहसील देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना (म.प्र.)

पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./533, दिनांक 29 अप्रैल, 2003 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है. सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(235-A)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

प्रशासक, श्री सी. पी. सोनी, सहकारी निरीक्षक,

ग्राम स्तरीय आदेश महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नयागाँव.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (दो) (7-क) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं. जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. अतः ग्राम स्तरीय आदेश महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नयागाँव, (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./506, दिनांक 04 जुलाई, 2004 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है. सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(235-B)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, सहकारिता विस्तार अधिकारी,

नानाजी देशमुख प्राथमिक विपणन सहकारी समिति

मर्या., पवई.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः नानाजी देशमुख प्राथमिक विपणन सहकारी समिति मर्या., पवई (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ ए.आर.पी./735, दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-C)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, एस. एस. दीक्षित,

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहनगर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहनगर, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./736, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-D)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगांव।

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगांव, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./648, दिनांक 05 फरवरी, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-E)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नत्थूपुरवा।

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को



लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नत्थूपुरवा., तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./671, दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-F)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पैरहा.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पैरहा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./639, दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-G)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केशवपुर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केशवपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./670, दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-H)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खौरा.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खौरा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./704, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)

के तहत् परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत् परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत् परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-I)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदी.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदी, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./722, दिनांक 27 जुलाई, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत् परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत् परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-J)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उदयपुर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उदयपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./691, दिनांक 27 जुलाई, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-K)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./693, दिनांक 06 मार्च, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-L)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छतैनी.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छतैनी, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./728, दिनांक 27 जुलाई, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-M)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवलपुर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को

लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवलपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./705, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-N)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिद्धपुर।

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिद्धपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./697, दिनांक 06 मार्च, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-O)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनुमतपुर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनुमतपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./646, दिनांक 05 फरवरी, 2014 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-P)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एस. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वारा.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वारा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./681, दिनांक 06 फरवरी, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)

के तहत् परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत् परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत् परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है. सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(235-Q)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री ओ. पी. प्यासी, शीत दुग्ध केन्द्र पन्ना)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पहाडीखेरा.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं. जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पहाडीखेरा., तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./714, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत् परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत् परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है. सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(235-R)



**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सब्दुआ.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं. जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सब्दुआ, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./662, दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है. सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(235-S)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भदैया.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं. जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भदैया, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./702, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-T)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहाना।

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहाना, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./653, दिनांक 05 फरवरी, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-U)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बीरा।

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को

लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बीरा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./664, दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-V)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिष्टा.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिष्टा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./667, दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-W)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निजामपुर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निजामपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./709, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति करदी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-X)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत ]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र, अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हीरापुर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हीरापुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./687, दिनांक 06 मार्च, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के

तहत् परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत् परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत् परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-Y)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवगांव.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवगांव, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./666, दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत् परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत् परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(235-Z)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तरौनी.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तरौनी, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./703, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मकरी.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मकरी, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./701, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-A)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वहिरवारा.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वहिरवारा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./699, दिनांक 06 मार्च, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-B)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री ओ. पी. प्यासी, शीत दुग्ध केन्द्र पन्ना)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदुआ.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय

को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदुआ, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./723, दिनांक 27 जुलाई, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-C)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धरमपुर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धरमपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./686, दिनांक 06 मार्च, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।



इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-D)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खौरामझपटिया।

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खौरामझपटिया., तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./672, दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-E)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौकछ।

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौकछ, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./692, दिनांक 06 मार्च, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के

तहत् परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत् परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत् परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है. सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(236-F)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वृजपुर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं. जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वृजपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./717, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत् परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत् परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है. सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(236-G)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भापतपुरकुर्मियान.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भापतपुरकुर्मियान, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./654, दिनांक 05 फरवरी 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-H)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगहा.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगहा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./649, दिनांक 05 फरवरी, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-I)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बनहरीकला।

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बनहरीकला, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./655, दिनांक 05 फरवरी, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-J)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरहा।

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को

लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरहा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./657, दिनांक 30 मार्च, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-K)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डुगरहो.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डुगरहो, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./658, दिनांक 30 मार्च, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-L)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कल्याणपुर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कल्याणपुर, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./729, दिनांक 27 जुलाई, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-M)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौलास.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौलास, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./668, दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है. सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(236-N)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, (श्री एस. एन. मिश्रा, शीत दुग्ध केन्द्र अजयगढ़)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बडीरूथ.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं. जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. अतः दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बडीरूथ, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./726, दिनांक 27 जुलाई, 2012 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं.

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे.

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं.

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है. सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं. संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(236-O)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, एस. एस. दीक्षित,

श्री लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नचनौरा.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः श्री लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नचनौरा, तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./740, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-P)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, राजीव सक्सेना,

छत्रसाल अफसेट सहकारी मुद्रणालय मर्या., पबई.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, पन्ना द्वारा इस कार्यालय को लेख किया गया है कि अंकेक्षण हेतु आपके द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये एवं और न ही संस्था के वित्तीय पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये हैं एवं इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः छत्रसाल अफसेट सहकारी मुद्रणालय मर्या., पबई, तहसील पबई, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./636, दिनांक 29 अप्रैल, 2008 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।



अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-Q)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, आर. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक,

बुन्देलखण्ड स्ट्रोन क्रेसर सहकारी समिति मर्या., तिदुनहाई.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (दो) (7-क) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः बुन्देलखण्ड स्ट्रोन क्रेसर सहकारी समिति मर्या., तिदुनहाई, तहसील देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./533, दिनांक 29 अप्रैल, 2003 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-R)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, श्री राजेश अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक,

आरक्षी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., पन्ना.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः आरक्षी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., पन्ना, तहसील पन्ना,

जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./656, दिनांक 05 फरवरी, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-S)

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, श्री राजेश अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक,

प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवेन्द्रनगर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., देवेन्द्रनगर, तहसील देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./338, दिनांक 29 दिसम्बर, 1990 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-T)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, श्री राजेश अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक,

विश्वकर्मा काष्ठकला श्रमिक सहकारी समिति मर्या., पन्ना.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः विश्वकर्मा काष्ठकला श्रमिक सहकारी समिति मर्या., पन्ना, तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./737, दिनांक 31 मार्च, 2011 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(236-U)

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक, श्री राजेश अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक,

शुरूआत बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., देवेन्द्रनगर.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा जारी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) में निर्देशित समयावधि में संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा निर्देशों तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः शुरूआत बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., देवेन्द्रनगर, तहसील देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./747, दिनांक 05 जून, 2014 को निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।—

1. संस्था के अभिलेख तातारीख संधारित नहीं कराये गये हैं, न ही अंकेक्षक को समय पर वित्तीय पत्रक उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. संस्था द्वारा निर्वाचन निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार सोसायटी ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों तथा कार्यालयीन निर्देशों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, उपरोक्त कारणों से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुसार संस्था हित में कार्य नहीं कर रही है।

अतः मैं, जी. एस. आठिया, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-1-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को उपरोक्त अधिनियम की धारा-69 (1) के तहत परिसमापन किया जाकर धारा-70 के तहत परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावे।

उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करना चाहे तो दिनांक 26 मार्च, 2016 को मेरे समक्ष कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने पर यह माना जाकर कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य संस्था का परिसमापन चाहते हैं। संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी. एस. आठिया,  
सहायक पंजीयक.

(236-V)

### कार्यालय परिसमापक, दुर्गा माँ रेडीमेट एवं वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जिला शिवपुरी

दिनांक 05 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/Q-1.—दुर्गा माँ रेडीमेट एवं वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 386, दिनांक 29 सितम्बर, 1992 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2838, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(237)

### कार्यालय परिसमापक, श्री गांधी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शक्तिपुरम शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 05 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/Q-1.—श्री गांधी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 607, दिनांक 18 सितम्बर, 1966 है, को उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक/परि./ 2840, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(237-A)

### कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 05 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16/Q-1.—बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 659, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2835, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(237-B)

### कार्यालय परिसमापक, शीतगृह एवं वर्फ उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जिला शिवपुरी

दिनांक 05 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./16.—शीतगृह एवं वर्फ उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 313, दिनांक 28 फरवरी, 1995 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक/परि./ 2843, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

आर. एन. गुप्ता,

परिसमापक एवं सह. निरी.

(237-C)

### कार्यालय परिसमापक, आदर्श परिवार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जिला खण्डवा

दिनांक 19 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./Q-1.—आदर्श परिवार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1184, दिनांक 15 अक्टूबर, 1979 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./ 2015/25/खण्डवा, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 19 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(238)

### कार्यालय परिसमापक, लक्ष्मी माता ईट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 19 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./Q.—लक्ष्मी माता ईट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1674, दिनांक 03 अगस्त, 1998 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./ 2015/31/खण्डवा, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 19 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(238-A)

### कार्यालय परिसमापक, ब्रम्हा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनगांव

दिनांक 05 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q.-1.—ब्रम्हा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनगांव, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2331, दिनांक 10 फरवरी, 2015 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 672, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(238-B)

### कार्यालय परिसमापक, जय बजट बाबा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बांगरदा

दिनांक 19 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./Q.—जय बजट बाबा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बांगरदा, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./ 2015/26, खण्डवा, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 19 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(238-C)

### कार्यालय परिसमापक, माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., बलवाड़ा

दिनांक 05 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q.-1.—माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सह. संस्था मर्या., बलवाड़ा, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2047, दिनांक 27 जुलाई, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 269, दिनांक 17 अप्रैल, 2015

के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

एस. के. पाटीदार,  
परिसमापक.

(238-D)

### कार्यालय परिसमापक, माँ वैष्णवी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुजरीखेड़ा

दिनांक 18 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./Q.—माँ वैष्णवी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुजरीखेड़ा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2040, दिनांक 27 जुलाई, 2007 है, को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./ 2015/12, दिनांक 2 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 18 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(239)

### कार्यालय परिसमापक, बडर समाज काम. कारी. सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा

दिनांक 18 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./Q.—बडर समाज काम. कारी. सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1431, दिनांक 12 जनवरी, 1990 है, को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./ 2015/10, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 18 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(239-A)

### कार्यालय परिसमापक, श्रीराम जल ग्रहण बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बोरगाँव बुजुर्ग

दिनांक 18 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q.—श्रीराम जल ग्रहण बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बोरगाँव बुजुर्ग, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1809,

दिनांक 19 मार्च, 2002 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./ 2015/12, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 02 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

ओ. पी. खेड़े,  
परिसमापक.

(239-B)

### कार्यालय परिसमापक, वर्धमान बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, जिला खण्डवा

दिनांक 19 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./Q-1.—वर्धमान बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 119, दिनांक 15 जुलाई, 2009 है, को उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक/परि./ 273, दिनांक 17 अप्रैल, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 19 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

एम. एल. अरणे,  
परिसमापक.

(240)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., पैरवारा, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 25 मार्च, 1971 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., पैरवारा, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., पैरवारा, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी. एस./188, दिनांक 25 मार्च, 1971 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., पैरवारा, तहसील विदिशा को परिसमापन में



लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। यदि कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., पैरवार, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ।

(225)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार हलधर किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पैराखेड़ी, तहसील कुरवाई के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 08 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये हलधर किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पैराखेड़ी, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, हलधर किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पैराखेड़ी, तहसील कुरवाई, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./981, दिनांक 08 जनवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत हलधर किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पैराखेड़ी, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। यदि हलधर किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पैराखेड़ी, तहसील कुरवाई विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ।

(225-A)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार भारत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लश्करपुर, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 15 सितम्बर, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये भारत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लश्करपुर, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, भारत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लश्करपुर, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./945, दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत भारत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लश्करपुर, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया

जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि भारत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लशकरपुर, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(225-B)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार प्रगतिशील किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा, तहसील कुरवाई के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 10 सितम्बर, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये प्रगतिशील किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, प्रगतिशील किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा, तहसील कुरवाई, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./943, दिनांक 10 सितम्बर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत प्रगतिशील किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि प्रगतिशील किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा, तहसील कुरवाई विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(225-C)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा, तहसील कुरवाई के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 07 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा, तहसील कुरवाई, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./978,

दिनांक 07 जनवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा, तहसील कुरवाई को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा, तहसील कुरवाई विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(225-D)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार परमार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरिया जाजौन, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 14 जनवरी, 2015 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये परमार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरिया जाजौन, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, परमार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरिया जाजौन, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./986, दिनांक 14 जनवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परमार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरिया जाजौन, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि परमार्थ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरिया जाजौन, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(225-E)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार गुरुकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सींगाखेड़ी, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 28 सितम्बर, 2013 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये गुरुकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सींगाखेड़ी, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा

प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, गुरूकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सींगाखेड़ी, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./888, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत गुरूकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सींगाखेड़ी, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि गुरूकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सींगाखेड़ी, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(225-F)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार सांची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धतुरिया, तहसील गुलाबगंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 नवम्बर, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये सांची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धतुरिया, तहसील गुलाबगंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सांची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धतुरिया, तहसील गुलाबगंज, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./970, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत सांची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धतुरिया, तहसील गुलाबगंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि सांची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धतुरिया, तहसील गुलाबगंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(225-G)

विदिशा, दिनांक 04 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार प्राथमिक किसान गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंज बासौदा, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 26 नवम्बर, 2009 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये प्राथमिक किसान गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंज बासौदा, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, प्राथमिक किसान गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंज बासौदा, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./753, दिनांक 26 नवम्बर, 2009 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत प्राथमिक किसान गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंज बासौदा, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि प्राथमिक किसान गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंज बासौदा, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 04 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(225-H)

विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 21 मार्च, 2011 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./778, दिनांक 21 मार्च, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(225-I)

विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार राईन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 21 जुलाई, 2006 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये राईन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, राईन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./718, दिनांक 21 जुलाई, 2006 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत राईन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि राईन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(225-J)

विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 31 जुलाई, 2007 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./732, दिनांक 31 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जागीर, तहसील नटेरन विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(225-K)

विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार वरदान महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., प्याराखेड़ी, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये वरदान महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., प्याराखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, वरदान महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., प्याराखेड़ी, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./723, दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत वरदान महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., प्याराखेड़ी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 26 मार्च, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि वरदान महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., प्याराखेड़ी, तहसील सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(225-L)

विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कूल्हा, तहसील बासौदा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 05 अक्टूबर, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कूल्हा, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कूल्हा, तहसील बासौदा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./698, दिनांक 05 अक्टूबर, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कूल्हा, तहसील बासौदा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें. यदि एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कूल्हा, तहसील बासौदा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ.

(225-M)

विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मोहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नामाखेड़ी, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 30 जून, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2)

के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये मोहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नामाखेड़ी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मोहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नामाखेड़ी, तहसील विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./690, दिनांक 30 जून, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मोहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नामाखेड़ी, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। यदि मोहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नामाखेड़ी, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ।

(225-N)

विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार माँ शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतनबरी, तहसील सिरोंज के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 21 अप्रैल, 2003 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये माँ शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतनबरी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, माँ शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतनबरी, तहसील सिरोंज, पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./658, दिनांक 21 अप्रैल, 2003 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत माँ शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतनबरी, तहसील सिरोंज को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। यदि माँ शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतनबरी, तहसील सिरोंज विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ।

(225-O)

विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार माँ दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेड़ा कलों, तहसील विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 21 जून, 2004 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल



के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये माँ दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेड़ा कलाँ, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, माँ दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेड़ा कलाँ, तहसील विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./688, दिनांक 21 जून, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत माँ दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेड़ा कलाँ, तहसील विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। यदि माँ दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेड़ा कलाँ, तहसील विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ।

(225-P)

विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार माधव फल-सब्जी उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 12 सितम्बर, 2001 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये माधव फल-सब्जी उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, माधव फल-सब्जी उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./594, दिनांक 12 सितम्बर, 2001 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत माधव फल-सब्जी उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। यदि माधव फल-सब्जी उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ।

(225-Q)

विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., शमशाबाद, तहसील नटेरेन के द्वारा उसके पंजीयन

दिनांक 12 जनवरी, 1999 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., शमशाबाद, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., शमशाबाद, तहसील नटेरन, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./583, दिनांक 12 जनवरी, 1999 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., शमशाबाद, तहसील नटेरन को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। यदि आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., शमशाबाद, तहसील नटेरन विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ।

(225-R)

विदिशा, दिनांक 05 मार्च, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार लटेरी महिला मुर्गी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लटेरी, तहसील लटेरी के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 08 मई, 2014 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये लटेरी महिला मुर्गी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लटेरी, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, लटेरी महिला मुर्गी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लटेरी, तहसील लटेरी, पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./923, दिनांक 08 मई, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत लटेरी महिला मुर्गी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लटेरी, तहसील लटेरी को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। यदि लटेरी महिला मुर्गी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लटेरी, तहसील लटेरी विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 05 मार्च, 2016 को जारी करता हूँ।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,

उप-पंजीयक,

(225-S)

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर**

शाजापुर, दिनांक 18 फरवरी, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा-प्रशासक फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., बिकलाखेड़ी,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 688, दिनांक 19 मार्च, 1998, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/188.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. निर्वाचन कार्य में रुचि न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 17 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(226)

शाजापुर, दिनांक 18 फरवरी, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा- प्रशासक श्री महिला साख सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 29 नवम्बर, 2000, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/184.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर न होने एवं किसी उत्तरदायी व्यक्ति से सम्पर्क न होने से संस्था का प्रभार न मिलने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग

करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 17 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(226-A)

शाजापुर, दिनांक 18 फरवरी, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा-प्रशासक मालवा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., डांसी,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 438, दिनांक 08 अक्टूबर, 1987, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/185.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था अकार्यशील होने निर्वाचन कार्य में रुचि न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 17 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(226-B)

शाजापुर, दिनांक 18 फरवरी, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा-प्रशासक चेतना रेडिमेड औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., मक्सी,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 223, दिनांक 16 जनवरी, 1991, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/186.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. संस्था अकार्यशील होने निर्वाचन कार्य में रुचि न लेने के कारण.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 17 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(226-C)

शाजापुर, दिनांक 18 फरवरी, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा-प्रशासक शांति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बापचा,

जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1115, दिनांक 03 नवम्बर, 2014 जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/187.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. निर्वाचन कार्य में रुचि न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 17 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

मीना डाबर,

उप-पंजीयक.

(226-D)

**कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर**

शाजापुर, दिनांक 08 फरवरी, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/क्यू.—उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्था जिनके

पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	सरजू महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., मझानिया	687/11-03-1998	123/01-02-2016

अतः मैं, नवीन शर्मा, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारी/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

नवीन शर्मा,  
परिसमापक एवं व.स.नि.

(227)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

गणेश बीज उत्पादक मर्या., हनुमंत्या, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 1052, दिनांक 13 जुलाई, 2010 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/213/2, दिनांक 18 मार्च, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(228)

आजाद साख सहकारी संस्था मर्या., थान्दला, तहसील थान्दला, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 28 जनवरी, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/213/2, दिनांक 18 मार्च, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(228-A)

श्री कृष्ण प्राथमिक उप. सहकारी भण्डार मर्या., झाबुआ, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 981, दिनांक 08 अगस्त, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/567, दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999

के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(228-B)

वार्धमान साख सह. संस्था मर्या., थांदला, तहसील थांदला, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 1108, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/277, दिनांक 03 जुलाई, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(228-C)

माही नर्मदा बीज उत्पादक मर्या., बनी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 1082, दिनांक 02 जून, 2012 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/276, दिनांक 03 जुलाई, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. एल. बडोले,  
उप-पंजीयक.

(228-D)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 25 फरवरी, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2015/Q.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./201/....., झाबुआ, दिनांक .....के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रा. उप. भण्डार मर्या., पेटलावद	1047/29-3-2010	588/30-12-2015
2.	राजीव गांधी प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., पेटलावद	983/19-12-2003	451-7/28-08-2014
3.	मत्स्य पालन सह. संस्था मर्या., अजव बोराली	869/13-5-1994	451-6/25-08-2014

अतः मैं, जी. एस. गुण्डिया, परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के सम्बन्ध में कोई दावा या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवधि के पश्चात् प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

**जी. एस. गुण्डिया,**

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(229)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 26 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सूमराखेडी, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 191, दिनांक 25 मई, 1981 को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/944, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 क धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 26 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(230)

आगर-मालवा, दिनांक 03 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/464.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बाईगांव, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 964, दिनांक 10 जनवरी, 2008 को कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/927, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 03 मार्च, 2016 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 03 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

**आर. एस. गौर,**

उप-पंजीयक.

(230-A)





# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016-चैत्र 12, शके 1938

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के श्योपुर, भिण्ड, दतिया, उज्जैन, छतरपुर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव (भिण्ड), सेवड़ा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), खाचरौद (उज्जैन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मिहोना, रौन (भिण्ड) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील नौगांव (छतरपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, शाजापुर, बड़वानी, सीहोर, जबलपुर, कटनी व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, आगर, शाजापुर, देवास, धार, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर व होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी में चना, मटर, गेहूँ व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला मण्डला, बालाघाट में फसल धान व अनूपपुर में धान, कोंदो व पन्ना, सीधी, सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, नीमच, देवास, झाबुआ, बड़वानी, रायसेन, जबलपुर, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	12.0				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	8.0				
2. भिण्ड	7.0				
3. गोहद	5.0				
4. मेहगांव	4.6				
5. लहार	..				
6. मिहोना	24.0				
7. रौन					
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	8.0				
2. दतिया	4.0				
3. भाण्डेर	9.0				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) गन्ना, चना, राई-सरसों, मटर, गेहूँ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) तिल-अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	40.4				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		अलसी, मसूर, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		प्याज.		
4. पवई	..		(2) ..		
5. शाहनगर	..				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		कम.		
4. सागर	..		(2) ..		
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा ..	..				
2. बटियागढ़ ..	..				
3. दमोह ..	..				
4. पथरिया ..	..				
5. जवेरा ..	..				
6. तेन्दूखेड़ा ..	..				
7. पटेरा ..	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूं, चना, मसूर अलसी, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर ..	..				
2. मझगवां ..	..				
3. रामपुर-बधेलान ..	..				
4. नागौद ..	..				
5. उचेहरा ..	..				
6. अमरपाटन ..	..				
7. रामनगर ..	..				
8. मैहर ..	..				
9. बिरसिंहपुर ..	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. . . 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक, गेहूं कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर ..	..				
2. सिरमौर ..	..				
3. मरुगंज ..	..				
4. हनुमना ..	..				
5. हुजूर ..	..				
6. गुढ़ ..	..				
7. रायपुरकर्चुलियान ..	..				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन, तुअर, उड़द कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर ..	..				
2. ब्यौहारी ..	..				
3. गोहपारु ..	..				
4. जैसिंहनगर ..	..				
5. बुढार ..	..				
6. जैतपुर ..	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, कोदो कुटकी, राई, अलसी, चना, गेहूं कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी ..	..				
2. अनूपपुर ..	..				
3. कोतमा ..	..				
4. पुष्पराजगढ़ ..	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) को. कु., ज्वार, मूँगफली, तुअर, बाजरा, अधिक. धान, राई-सरसों, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ ..	..				
2. पाली ..	..				
3. मानपुर ..	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई.	3. .. 4. (1) चना, राई, सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ कम. अलसी समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
<b>*जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोट	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) राई-सरसों, मटर, मसूर, अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	15.0				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, गेहूँ, चना अधिक. तुअर कम. कपास समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	.. .. .. .. ..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, कपास, तुअर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सोण्डवा 5. भामरा	.. .. .. .. ..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास, मक्का, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	.. .. .. .. .. .. .. ..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	.. .. .. .. ..				
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. झिरन्या	.. .. .. .. .. .. .. .. ..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>*जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ चना, मक्का, तेवड़ा, बटरी, तुअर (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) ज्वार, सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली अधिक. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>*जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) धान अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, मसूर, अलसी, गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ. मसूर, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				



1	2	3	4	5	6
<b>*जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) मक्का, सन, तिल, धान, उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
<b>*जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. शाहपुरा	..		(2) ..		
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांढुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केव्लारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला सिंगरौली, खण्डवा, बैतूल, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

(231)

राजीव रंजन,  
आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.